कृषि चौपाल

कृषि एवं ग्रामीण सरोकारों के लिए प्रतिबद्ध

वर्ष-10, अंक-8, नवंबर 2017, ईमेलः krishichaupal@gmail.com, वेबसाइटः krishichaupal.com रुपये 20

शिक्षित युवाओं को खेती से जोड़ने की चुनौती

ऐसे पढ़ेगा इंडिया, ऐसे बढ़ेगा इंडिया?

खूब लहलहाईं फसलें इस साल

राज्य विशेष
उत्तराखंड

रुडयार्ड किपलिंग ने
उन्हें अपनी कल्पनाओं
में बसाया और अब हम
उन्हें बसा रहे हैं,
एक नए परिवेश में।

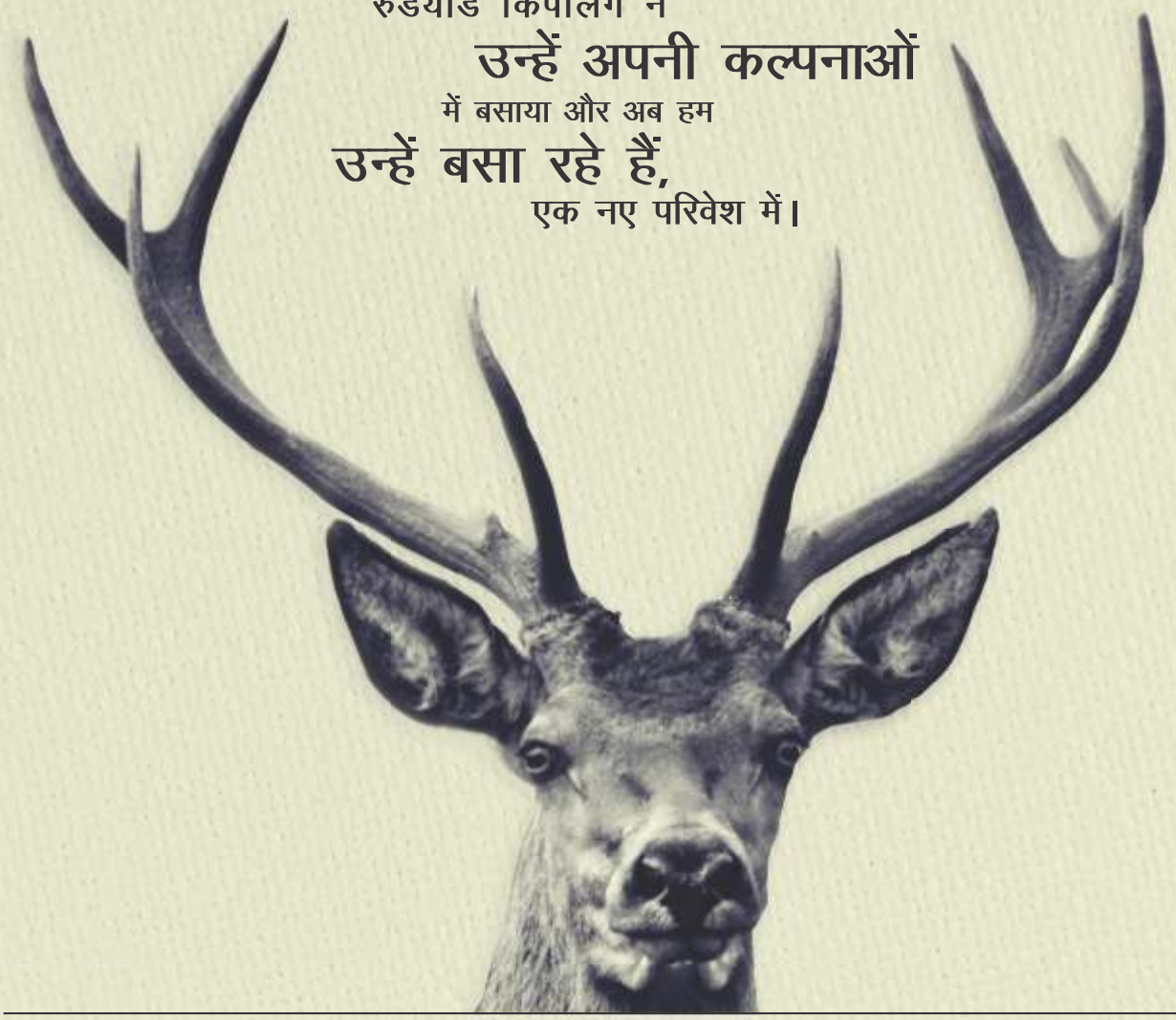

"ओएनजीसी बारासिंघा (ईस्टर्न स्वैम्प डीअर) संरक्षण परियोजना"

एक दुर्लभ प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिये ओएनजीसी की सीएसआर पहल।

असम में पाये जाने वाले बारासिंघा या ईस्टर्न स्वैम्प डीअर *(Rucervus duvaucelii ranjitsinhi)* आज विलुप्त होने की कगार पर है। प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने जिस से मंत्रमुग्ध हो कर उसकी सुन्दरता को अपनी दूसरी किताब 'द सेकंड जंगल बुक' में कैद किया हो, उस जीव के लिये यह काफी दुखद स्थिति है।

ओएनजीसी ने इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिये अपने कदम बढ़ाये, और वो भी बिल्कुल सही समय पर।

इसके पहले चरण के अन्तर्गत इनकी अनुमानित आबादी, अनुकूल पर्यावरण, पशु–चिकित्सा अंतःक्षेप एवं सामान्य अध्ययन और जागरूकता अभियान किया गया। इनके स्थानांतरण के लिये मानस राष्ट्रीय उद्यान को चुना गया, जो इनके रहने के लिये बिल्कुल उपयुक्त स्थान था।

काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से 19 बारासिंघो को मानस में स्थानांतरित करना बहुत ही कठिन काम था। योजना के इस अत्यंत कठिन दूसरे चरण को दक्षिण अफ्रीका से बुलाये गये वन्यजीव विशेषज्ञों ने बहुत खास तरीके से अंजाम दिया। 19 बारासिंघो का स्थानांतरण खास तंबुओ में किया गया, जिनको अन्दर से उनके प्राकृतिक आवास जैसा ही बनाया गया था। कुछ ही महीनों में 6 नवजात बारासिंघो ने झुण्ड में जुड़कर, स्थानांतरण की खुशी को दुगना कर दिया।

इस योजना के विस्तार के तीसरे चरण के अन्तर्गत 20 अतिरिक्त बारासिंघो का स्थानांतरण किया जा रहा है।

यह परियोजना संतुलित पर्यावरण की ओर ओएनजीसी की एक शुरुआत है। लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण करने के लिये प्रेरित, हमारा संगठन प्रकृति की असली सुंदरता को बनाये रखने के लिये प्रतिबद्ध है।

ओएनजीसी
ONGC

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः– पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऊर्जा भवन, 5, नैलसन मंण्डेला मार्ग, वंसत कुँज, नई दिल्ली-110070
दूरभाषः 011-26752021, 26122148, फैक्सः 011-26129091 www.ongcindia.com /ONGC Limited @ONGC_

कृषि चौपाल
कृषि एवं ग्रामीण सरोकारों के लिए प्रतिबद्ध
वर्ष-10 ❖ अंक-8 ❖ नवंबर 2017

संपादक
महेन्द्र सिंह बोरा

संपादक मंडल
डॉ. गंगाशरण सैनी, एस. विश्वजीत प्रसाद, ताज रावत, महेश पपनै

राजनीतिक संपादक
ललित पांडे

उत्तर प्रदेश प्रभारी
देवेन्दर कुमार शर्मा

प्रसार प्रबंधक
दलीप जीना

डिजाइन
कल्पना प्रिंटोग्राफिक्स

संपादकीय कार्यालय
कृषि चौपाल
प्लाट नं. 30-31-32, ऑफिस नं.-8
गली नं. 17, मधु विहार मार्केट
आई. पी. एक्सटेंशन, दिल्ली-110092
संपर्क: +91-9910406059
ईमेल: krishichaupal@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक महेन्द्र सिंह बोरा द्वारा सी-355, तृतीय तल, गली नं. 9, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092 से प्रकाशित और श्री इंटरप्राइजेज, डी-93, सैक्टर-7, नौएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से मुद्रित।

'कृषि चौपाल' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किये गये विचार लेखकों की अपनी अभिव्यक्तियां हैं। संपादकीय मंडल का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। 'कृषि चौपाल' में दिये गये विभिन्न उपचारों, सुझावों पर अमल करने पर यदि किसी को किसी प्रकार की क्षति होती है तो इसके लिए 'कृषि चौपाल' को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। सुझाये गये विभिन्न उपचारों और परामर्शों पर अमल करने से पूर्व संबंधित विशेषज्ञों की राय को प्राथमिकता दें। किसी भी तरह के विवाद का निपटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाले सक्षम न्यायालयों और फोरमों में ही किया जाएगा।

चित्र साभार: google.com

● **उपरोक्त सभी पद अवैतनिक हैं।**

त्रिवेंद्र रावत के आठ महीने

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए त्रिवेंद सिंह रावत को अभी जुम्मा-जुम्मा सात-आठ महीने ही हुए हैं कि उनके कामकाज की समीक्षा होने लगी है। हालांकि, यह एक स्वस्थ परिपाटी है और इसके जरिए सरकार को अपने आगे की दिशा तय करने में मदद ही मिलती है। इस संबंध में जब एक चर्चित राष्ट्रीय दैनिक अखबार ने अपनी समाचार वेबसाइट के जरिए त्रिवेंद सिंह के अब तक के कार्यकाल के बारे में सर्वेक्षण कराया, तो 90 प्रतिशत जनता मुख्यमंत्री के कामकाज से खुश नहीं थी और मात्र 10 प्रतिशत लोगों ने मुख्यमंत्री की सराहना की। यह सर्वे त्रिवेंद सिंह के लिए एक तगड़ा झटका हो सकता है।

लेकिन, इसी तथ्य को यदि विश्लेषक की नजर से देखें, तो त्रिवेंद सिंह ने बहुत ही समझदारी और चतुराई से राजपाट संभाला है। असल में, त्रिवेंद सिंह जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तभी से उनके खिलाफ तरह-तरह की अफवाहें चल रही थीं। मसलन, कभी कहा गया कि उनका अपने अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो कभी उनकी तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की जाने लगी। इस तरह उन्हें असफल करार देने की कई कोशिशें हुई। लेकिन, सच्चाई यह है कि त्रिवेंद सिंह का मुख्यमंत्री बनना कइयों को रास नहीं आया। बाकायदा, तब यह आलम था कि कोई भी उन्हें मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल तक नहीं मान रहा था। जहां भाजपा के कई कद्दावर नेता दिल्ली से लेकर नागपुर तक अपने नाम की सिफारिश कर रहे थे, वहीं खुद त्रिवेंद सिंह देहरादून में अपने घर पर ही थे। उन्होंने अपने नाम के लिए कहीं सिफारिश तक नहीं की। मजेदार बात यह कि तमाम दावेदारों के नामों को दरकिनार कर आलाकमान ने अंत में मुख्यमंत्री पद के लिए उनके नाम की ही घोषणा की। इससे कई कद्दावरों के मंसूबों पर पानी फिर गया और उन्होंने त्रिवेंद सिंह को परेशान करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। कहा जाता है कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हर मौके पर अपने आपको त्रिवेंद्र सिंह से इक्कीस साबित करने की कोशिश कर चुके हैं। बताते हैं कि सतपाल महाराज को यही टीस है कि उन्हें त्रिवेंद सिंह से राजनीतिक तौर पर ज्यादा अनुभव होने के बावजूद पार्टी आलाकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इसी तरह वनमंत्री हरक सिंह रावत भी जब-तब त्रिवेंद सिंह के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं, लेकिन उन्हें भी हर बार मुंह की खानी पड़ी है। बताते हैं कि हरक सिंह यह साबित करने में लगे थे कि कांग्रेस की हार उनके कारण ही संभव हुई, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था।

भाजपा की भीतरी गुटबाजी को देखते हुए यह तो तय है कि त्रिवेंद सिंह के विरोधी भविष्य में भी उनके काम में अड़चन डालने की भरसक कोशिश करते रहेंगे, लेकिन यदि त्रिवेंद्र सिंह बतौर मुख्यमंत्री राज्य के विकास के लिए सकारात्मक कदम उठाएं तो उनके विरोधियों को मुंह की खानी पड़ सकती है। युवाओं के लिए स्वरोजगार विकसित करने के साथ ही वे राज्य से हो रहे पलायन को लेकर चिंतित दिखते हैं, जबकि कई विभागों और निगमों का आपस में विलय करके वे विकास को नई गति देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह उन्होंने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को राज्य की बेशकीमती जड़ी-बूटियों सहित कई मामलों में एकाधिकार दे दिए, उसका काफी विरोध हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मामले में उन्हें पार्टी आलाकमान के दबाव में मजबूरन मुहर लगानी पड़ी होगी। ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह को यही कहा जा सकता है कि उन्हें अपनी कुर्सी की चिंता किए बगैर हमेशा ऐसे फैसले लेने चाहिए, जो राज्य और जनता के हित में हों।

(महेन्द्र सिंह बोरा)

उत्पादन ज्यादा, भंडारण आधा

एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में भारत के सबसे बड़े दूध तथा फल-सब्जियों के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक होने के बावजूद यहां कुल उत्पादन का करीब 40 से 50 प्रतिशत भाग बर्बाद हो जाता है। बर्बाद होने वाले इन उत्पादों का मूल्य लगभग 440 अरब डॉलर होता है। उद्योग मंडल एसोचेम के महासचिव डीएस रावत ने एक अध्ययन के हवाले से कहा कि भारत के पास करीब 6,300 कोल्ड स्टोरेज की सुविधा मौजूद है, जिसकी कुल भंडारण क्षमता तीन करोड़ 1.1 लाख टन की है। इन स्थानों पर देश के कुल जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के करीब 11 प्रतिशत भाग का भंडारण हो पाता है। अध्ययन में अनुमान जताया गया है कि वर्ष 2016 में भारत में शीत भंडारण बाजार का मूल्य 167.24 अरब डॉलर का आंका गया था और वर्ष 2020 तक इसके 234.49 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान जताया गया है। पिछले कुछ वर्षों में शीत भंडार श्रृंखला का बाजार निरंतर बढ़ा है और यह रुख वर्ष 2020 तक जारी रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में इस क्षेत्र के धीमे विकास के लिए कई पहलुओं को रेखांकित किया गया है, जिनमें से एक अधिक परिचालन लागत है। रावत ने कहा, पर्याप्त आधारभूत ढांचे की कमी, प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव, पुरानी पड़ चुकी प्रौद्योगिकी एवं अस्थिर बिजली की आपूर्ति जैसे पहलू भारत में शीत श्रृंखला आधारभूत ढांचा के विकास में प्रमुख बाधाएं हैं। उन्होंने कहा कि शीत श्रृंखला की स्थापना में आधारभूत ढांचा की लागत अधिक आती है। अध्ययन में कहा गया है कि मौजूदा समय में खुदरा शीत श्रृंखला अधिक प्रभावी होने के लिए जूझ रही है, लेकिन प्रौद्योगिकी की मद्द से सुधार की काफी गुंजाइश मौजूद है।

बच्चे उगा रहे हैं साग-सब्जी

इंदिरा गांधी कृषि विवि ने रायपुर के स्कूलों में खाली पड़ी जमीनों पर बागवानी करनी शुरू की है। ऑन फार्म टेस्टिंग मॉडल के तहत कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर ने तीन स्कूलों को गोद लिया और यहां पोषण वाटिका स्थापित की गई है। इन स्कूलों में सब्जी और फलों को लगाया गया है। इसका मकसद बच्चों को मिड डे मील में ताजी सब्जियां उपलब्ध कराना, साथ ही बच्चों को खेतीबाड़ी की पढ़ाई करवाना है। कृषि विवि के कुलपति डॉ. एसके पाटिल ने बताया कि वे केंद्र और राज्य सरकार की मंशा के अनुसार योजनाबद्घ तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से स्कूलों में विद्यार्थी पढ़ाई-लिखाई के साथ खेतीबाड़ी के गुर भी सीखेंगे। खेती-बाड़ी में मृदा की जांच करने, खाद-यूरिया की मात्रा और कब सिंचाई करनी है जैसी तमाम जानकारियां कृषि विवि के वैज्ञानिक बच्चों को समय-समय देते रहेंगे। यानी बच्चों को खेतीबाड़ी की सभी तकनीकी व बारीकियां सिखाई जाएंगी। कृषि विवि ने रायपुर के जिलाधिकारी ओपी चौधरी को सौ अन्य सरकारी स्कूलों में भी यह प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रस्ताव भेज दिया है। वैसे यहां यह भी बता दें कि मिंटू शर्मा हायर सेकंडरी स्कूल डूमरतराई के प्राचार्य आरएन त्रिवेदी पहले से ही बागवानी का शौक रखते रहे हैं। उनके स्कूल परिसर में हरे-भरे फल-फूल के पौधे पहले से लगे हैं, लेकिन अब कृषि विवि के गोद लेने के बाद यहां लाल भाजी, भिंडी, प्याज, अदरक, मेथी, पालक, फ्रासबीन, गवारफली, नींबू, मुनगा, कर्मता भाजी, पत्ता गोभी, करेला, लौकी, कुम्हाड़ा, सेम, बैगन , टमाटर आदि चीजें लगाई गई हैं। डा. एसके पाटिल का कहना है कि सालभर फसल चक्र करके लगातार सब्जी और फलों की खेती इन स्कूलों में कराई जाएगी। तकनीक के अलावा बच्चों को किस पौधे में ज्यादा पोषक तत्व हैं इसकी जानकारी भी दी जाएगी।

अब ऑनलाइन बेचेंगे किसान अपनी फसल

किसानों को उनका मेहनताना सही तरह से मिले, इसके लिए हिमाचल सरकार ने ऑनलाइन ई-एनएएम (इलैक्ट्रॉनिक नैशनल एग्रीकल्चर मार्केट) यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरूआत की है, जिसमें किसानों को उनकी फसल का जायज मूल्य दिया जाएगा। जिससे उनकी आर्थिक दशा सुधरेगी। यह योजना देश में 2016 में शुरू की गई थी। इसके तहत सभी राज्यों को ई-एनएएम के साथ जोड़कर देश में ऑनलाइन कृषि को बढ़ाने व किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदे देने की शुरूआत की गई है। इसके तहत अभी देश के 13 राज्यों के 455 एपीएमसी को ई-एनएएम के साथ जोड़ा जाएगा। हिमाचल में भी इसकी शुरूआत हो चुकी है, जिसके तहत सभी जिलों में किसानों को इस योजना के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं व लोगों को इस योजना से अवगत करवाया जा रहा है। इस व्यवस्था के जरिए लोगों को ऑनलाइन अपने उत्पादों को बेचने की सुविधा दी जा रही है। इसके तहत सभी किसानों व व्यापारियों को ई-एनएएम में रजिस्टर करके उनका पहचान पत्र बनाया जाएगा। जिसके जरिए वे अपने उत्पादों का लेन-देन कर सकेंगे। इस सुविधा की मदद से किसानों को बिचौलियों से निजात मिलेगी और उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी।

कलाईमेट स्मार्ट कृषि को बढ़ावा

हरियाणा में अब कलाईमेट स्मार्ट कृषि को बढावा दिया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने 22 करोड़ रुपए की राशि से एक कार्य योजना तैयार की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डा. अभिलक्ष लिखी

ने बताया कि विभाग ने केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल एडॉपशन फंड फॉर कलाईमेट चेंज योजना के तहत इसे तैयार किया है और इसके लिए नाबार्ड द्वारा राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत समुदाय को जानकारी मुहैया करवाना, तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा देना, आईसीटी का उपयोग के बारे में राज्य के सौ चिन्हित कलाइमेट स्मार्ट गावों को जानकारी दी जाएगी। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक डीके बेहरा ने बताया कि विभाग ने कलाईमेट स्मार्ट कृषि की अवधारणा के तहत विभिन्न कदम उठाए हैं और किसानों को इसके बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग राज्य के किसानों को फसल अवशेषों के प्रबंधन के सब्सिडी पर उपकरण उपलब्ध करवा रहा हैं और कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के माध्यम से किराए पर भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुपर एसएमएस के साथ कम्बाईन हारवेस्टर के साथ हैप्पी सीडर उपकरण फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किफायती है। उन्होंने कहा कि इस वैज्ञानिक डाटा और क्षेत्रीय अनुभवों से साबित हुआ कि इन तकनीकों के प्रयोग करने के उपरांत फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक विभाग राज्य में फसलों के अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए इन तकनीकों को बढ़ावा दे रहा है।

नोटबंदी से उबर नहीं पाए पंजाब के किसान

हरित क्रांति वाले राज्य पंजाब में किसान अभी भी नोटबंदी के असर से उबर नहीं सके हैं। पिछले साल नवंबर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक नोटबंदी की घोषणा की थी, उस समय पंजाब और इसके पड़ोसी राज्य हरियाणा में किसानों के लिए एक बेहद बुरे दौर की शुरूआत हुई थी। उस समय धान की खरीद चरम पर थी और किसान करीब 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के लेन-देन करने वाले थे। एक हजार और पांच सौ रुपये के नोटों को गैरकानूनी घोषित किए जाने के फैसले और नए नोटों की अनुपलब्धता, सहकारी बैंकों के काम बंद हो जाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की शाखाओं के आगे भारी भीड़ से दोनों राज्यों की कृषि अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी। होशियारपुर जिले के एक किसान रणजीत सिंह ने बताया कि बिचौलियों ने इन हालातों का भरपूर फायदा उठाया। अधिकतर किसान पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबे थे और उनके पास कर्ज लौटाने के लिए पैसे नहीं थे। खरीदे हुए धान के पैसे देने में देरी हुई और इससे हालात बेहद खराब हो गए। उन्होंने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि इससे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को इसका अंदाजा नहीं था कि इस फैसले का बोझ हमारे कृषि प्रधान जैसे राज्यों में गरीबों, कर्ज के बोझ तले दबे किसानों पर पड़ेगा। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में आठ नवंबर को नोटबंदी के फैसले के बाद तीन महीनों तक बैंकों के आगे लंबी कतारें देखी गईं और इस दौरान नए नोटों की आपूर्ति की गति काफी धीमी रही। सागरपुर जिले के किसान कमल सिंह ने बताया कि कई महीनों तक किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे धान की कटाई के बाद अगली फसल की बुवाई के लिए बीज और खाद नहीं खरीद पाए। देश के भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 1.54 प्रतिशत होने के बावजूद पंजाब केंद्र के कटोरे में लगभग पचास प्रतिशत अनाज की आपूर्ति करता है। किसानों का कहना है कि नोटबंदी के बाद कृषि और बागवानी में लोगों का मनोबल लगातार गिरा हुआ है। बागवानी किसान जीत सिंह ने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था नोटबंदी के बाद उबर नहीं पाई है। मनोभाव अभी भी गिरा हुआ है। इस फैसले के बाद बागवानी क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ। किन्नो जैसे खट्टे फल बाजार में थे और रातों रात इसका आर्डर रद्द कर दिया गया। हालांकि, पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने कर्ज के बोझ तले दबे किसानों के दो लाख रुपये तक के कर्ज माफ करने का वादा किया है, लेकिन यह वादा कब तक पूरा होगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

मुद्दा सबने भुनाया, हल कोई न निकाल सका

पहाड़ी राज्य हिमाचल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय है, इसलिए सरकार तरह-तरह के उपाय करके किसानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों की सारी मेहनत पर वानर सेना पानी फेर रही है। विधानसभा चुनाव का समय है तो एक बार फिर बंदरों से परेशान किसान चर्चा में हैं। पांच साल तक सियासी दलों ने इस मुद्दे को खूब भुनाया, लेकिन प्रदेश के करीब नौ लाख किसान परिवारों की समस्या का हल नहीं निकल पाया। कई स्थानों पर तो लोगों ने फसल उगाना ही बंद कर दिया। राजनीतिक पार्टियों की बात करें, तो सत्ता पक्ष ने अन्नदाताओं के हाथ में बंदूक थमा दी और बंदरों को उत्तर-पूर्व भेजने के दावे किए, लेकिन ये दावे हकीकत में नहीं बदल पाए। वन महकमे का जोर भी केवल बंदरों की नसबंदी करने तक ही सीमित रहा। यही नहीं, विपक्ष भी शिद्दत के साथ इस मसले को नहीं उठा पाया। किसान संगठनों की मानें तो बंदरों की तादाद पांच से छह लाख है, जबकि वन विभाग की नजर में इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। विभाग के सर्वेक्षणों पर पीड़ित किसान सवाल उठाते रहे हैं। किसान संगठनों के मुताबिक, हर साल करीब पांच सौ करोड़ रुपये की फसल बर्बाद हो रही है, जबकि बंदरों की रखवाली पर भी करोड़ रुपये सालाना खर्च होता है। इसकी एवज में किसानों को न तो मुआवजा मिलता है और न ही

बंदरों की रखवाली के लिए मनरेगा के तहत राखे रखने की व्यवस्था हो पाई। यहां किसानी लगातार घाटे का सौदा साबित हो रही है, इसलिए किसान अब खेतीबाड़ी से मुंह मोड़ने लगे हैं।

गौरतलब है कि बंदरों को मारने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी और यह कई वर्षों तक रही। किसान संगठन इसे हटाने की अपने स्तर पर पैरवी करते रहे। बाद में यह रोक हटी। हालांकि, मामला देश की शीर्ष अदालत तक जा पहुंचा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने हिमाचल के आग्रह पर सबसे पहले शिमला शहर को वर्मिन घोषित किया, इसके बाद वर्मिन का दायरा राज्य की 38 तहसीलों तक बढ़ाया गया। इनमें बंदरों को मारा जा सकता था। राज्य सरकार ने किसानों को ही बंदूक थमा दी, लेकिन अन्नदाताओं ने बंदरों को मारने से मना कर दिया। इसी साल अप्रैल में शिमला में एक उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई और इसमें यह तय हुआ कि इंसान की तर्ज पर बंदरों की भी नसबंदी होगी, लेकिन स्थिति अब भी जस की तस बनी हुई है।

कड़कनाथ को भाया छत्तीसगढ़

कड़कनाथ नस्ल के मुर्गा को छत्तीसगढ़ की आबोहवा रास आ गई है। वे अब यहां आसानी से प्रजनन कर रहे हैं और इनमें दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। इंदिरा गांधी कृषि विवि के कृषि विज्ञान केन्द्रों में मुर्गों के उत्पादन के लिए चल रही मुहिम काफी सफल रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ तीन साल पहले मध्य प्रदेश से कड़कनाथ मुर्गे के चूजे लाए गए थे और आज इनका उत्पादन इतना हो गया है कि चूजों का निर्यात भी किया जाने लगा है। प्राकृतिक प्रजनन एवं कृत्रिम हैचिंग के माध्यम से शुरू कड़कनाथ चूजा उत्पादन योजना के तहत अब छत्तीसगढ़ से 70 हजार चूजे उत्पादित किए जा रहे हैं। इस बात को देखते हुए और इनके उत्पादकों को अच्छा मूल्य मिल सके, इसके लिए दंतेवाड़ा में आयोजित आदिवासी उद्यमिता सम्मेलन में एक व्यावसायिक संस्था से अनुबंध भी किया गया है। पूरे भारत में अपने काले मांस की वजह से प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गा अन्य कुक्कुट प्रजातियों की अपेक्षा अधिक प्रोटीन व कम वसा होने के कारण स्वास्थयवर्धक माना जाता है। इसमें कोलेस्ट्राल की मात्रा भी अन्य प्रजातियों की अपेक्षा कम होती है। कड़कनाथ के विशिष्ट गुणों के कारण बाजार में इसकी काफी मांग है और इसकी कीमत अन्य मुर्गियों की अपेक्षा काफी अधिक है। इस प्रजाति की रोग प्रतिकारक क्षमता अन्य पक्षियों की अपेक्षा अधिक होती है।

कृषि विज्ञान केंद्र के लिए योगी सरकार देगी निःशुल्क जमीन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के दस जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिये निःशुल्क जमीन देने का फैसला हुआ। प्रदेश के जिन 10 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिये निशुल्क जमीन देने का निर्णय किया गया है इनमें से छह जिलों- संभल, अमरोहा, अमेठी, कासगंज, हरदोई एवं बहराइच में कृषि विभाग जमीन उपलब्ध कराएगा। बाकी के जिलों शामली, गोंडा, जौनपुर और बदायूं में राजस्व विभाग जमीन उपलब्ध कराएगा। संभल, अमरोहा, अमेठी, कासगंज, बहराइच, शामली, गोंडा, जौनपुर तथा बदायूं में स्थापित होने वाले कृषि विज्ञान केंद्र संबंधित कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एवं हरदोई में स्थापित होने वाला केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित होना है। इन जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिये जमीन हस्तांतरित करने के लिये कृषि और राजस्व विभागों ने अनापत्ति प्रदान कर दी है। कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिये जमीन का चयन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया है। कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिये चिन्हित भूमि को कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के माध्यम से संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरण किया जाएगा, वहीं हरदोई की जमीन लीज के माध्यम से आइसीएआर की संस्था आइआइपीआर कानपुर को दी जानी है।

किसानों की आय हरियाणा सबसे पहले दोगुनी करेगा - खट्टर

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री के इरादे को अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा सबसे पहले पूरा करेगा। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओपी धनखड़ हर समय नई योजनाएं हरियाणा के किसानों के लिए लागू करने की पहल कर रहे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जिले के रामनगर में लगभग 10.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 25 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे इंडो-इस्राइल परियोजना मिशन के एकीकृत मधुमक्खी विकास केंद्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडो-इस्राइल आपसी सहयोग से स्थापित पांच उत्कृष्ठता केंद्र प्रधानमंत्री के इस विजन को साकार करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इजरायल ने कुरुक्षेत्र की इस धरा पर अपने परियोजनाओं के तहत देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी विकास केंद्र खोलने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि इस समय इस केंद्र में 13 बी-ब्रीडर हैं, जिन्हें अगले साल बढ़ाकर

32 किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रति बी-ब्रीडर चार लाख रुपये की सब्सिडी मधुमक्खी पालन के लिए उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इजरायल का भौगोलिक व वर्षा की स्थिति राजस्थान के समान होते हुए भी सूक्ष्म इकाई के माध्यम से खेती को बढ़ावा देकर इजरायल ने पूरे देश में पहचान बनाई है। कम जमीन व कम पानी के उपयोग से खेती करना इजरायल के लोगों ने विश्व को सिखाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी पानी की स्थिति अच्छी नहीं हैं, इसलिए इजरायल की तकनीक अपनाकर हम भी तरक्की कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान हरियाणा की रीढ़ हैं और इनके हितों को सदैव प्राथमिकता दी जाएगी। हमें जैविक खेती को अपनाना होगा, क्योंकि रसायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोगों से उत्पादित खाद्यानों से पंजाब व हरियाणा में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां पनप रही हैं।

बोझ बनतीं सुविधाएं

मध्य प्रदेश के खजाने पर किसानों को दी गई सुविधाएं बोझ बनने लगी हैं। यह फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि रियायतें किस सीमा तक दी जाएं। मसलन, पिछले साल सरकार ने करीब नौ लाख टन प्याज आठ रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर किसानों से खरीदा। हालांकि, किसान इससे भी खुश नहीं थे और उन्होंने आंदोलन किया। जिसने हिंसा का रूप ले लिया। गोलीबारी में पांच लोग मारे गए। आखिर में प्याज सड़ गया क्योंकि सरकारी एजेंसियों ने प्याज खरीद तो लिया लेकिन उनके पास उसे रखने की सुविधा नहीं थी और बुनियादी ढांचा न होने के कारण वे उसे बेच भी नहीं सकीं। कुछ ऐसा ही सोयाबीन और तुअर दाल के मामले में भी हुआ। पिछले साल इन दोनों जिंसों की कीमत में अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी कमी आई। रोचक बात यह है कि पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र और राजस्थान में इनकी कीमतें स्थिर बनी रहीं, क्योंकि वहां न्यूनतम राज्य समर्थन मूल्य (एमएसपी) मध्य प्रदेश की तुलना में कम था। कीमतें केवल मध्य प्रदेश में गिरीं। यह इस बात का साफ संकेत था कि चंद लोगों का समूह बाजार के साथ खिलवाड़ कर रहा था। जो लोग इनके बारे में जानते थे, उनका कहना था कि मंडी एजेंटों ने एकजुट होकर गठजोड़ कर लिया और जानबूझकर कीमतों पर दबाव बनाया। नतीजतन सरकार ने हस्तक्षेप किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक ऐसी योजना लेकर आए जो सबको खुश रखने वाली थी। इसमें व्यापारियों के गठजोड़ और कारोबारियों दोनों के लिए गुंजाइश थी। नया एमएसपी घोषित किया गया और तीन राज्यों में जिंस के औसत बाजार मूल्य के आधार पर एक आदर्श मूल्य तय करने का फॉमूर्ला पेश किया गया। किसान अपनी उपज को राज्यों की मंडी में बेचने के लिए पंजीयन करते हैं और बदले में उनको रसीद दी जाती है। एमएसपी और आदर्श मूल्य के बीच के अंतर यानी भावांतर के भुगतान का बोझ राज्य सरकार वहन करती है। यह दोहरी सब्सिडी जैसी व्यवस्था है। इसमें कारोबारियों को अप्रत्यक्ष और किसान को प्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी मिल रही है। व्यापारी इससे बेहद उत्साहित नजर आए। वे किसानों को न्यूनतम कीमत चुका रहे हैं और कह रहे हैं कि बीच का अंतर तो सरकार वहन करेगी ही। किसान उच्चतम मूल्य हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वे अभी भी पूरी तरह व्यापारियों और मंडी की दया पर निर्भर हैं। अगर वह अपनी उपज को मंडी में बेच नहीं सकता तो उसके लिए कीमत का कोई संदर्भ ही नहीं बचता। सवाल यह है कि प्रदेश ने शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, तमाम तरह के प्रोत्साहन आदि की मदद से खेती के क्षेत्र में इतना शानदार प्रदर्शन किया है, तब सरकार, कृषि व्यापारियों की उस लॉबी को क्यों नहीं तोड़ पाई, जो कृषि उपज विपणन समितियों को चलाती है।

वादाखिलाफी बताने गुजरात जाएंगे किसान

केंद्रीय कैबिनेट के रबी सीजन के लिए गेहूं और चना का समर्थन मूल्य कई गुना करने, जबकि धान के समर्थन मूल्य में मात्र 80 रुपये की बढ़ोतरी करने से छत्तीसगढ़ के किसान खासे नाराज हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 110 रुपये बढ़ाते हुए 1,735 रुपये प्रति क्विंटल और चने का 400 रुपये बढ़ाते हुए 4,400 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया, जबकि धान के समर्थन मूल्य में मात्र 80 रुपये की बढ़ोतरी की। उनके मुताबिक, धान की पैदावार की लागत गेहूं और चने से कहीं ज्यादा है। किसानों ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगाते हुए पूछा कि तो क्या वे चावल की पैदावार बंद कर दें। दरअसल, छत्तीसगढ़ में लगभग 26 लाख किसान साल में दो से तीन बार चावल की पैदावार करते हैं। किसानों के मुताबिक धान लगाने में ज्यादा लागत, पानी, बिजली और समय लगता है और तो और दूसरे फसलों की तुलना में कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग भी ज्यादा होता है। इसके बावजूद चावल उपजाने वाले किसानों के प्रति मोदी सरकार गंभीर नहीं है। किसानों ने ऐलान किया है कि वे गुजरात जाकर इस मिथक को तोड़ेंगे कि भाजपा किसानों की हमदर्द है।

छत्तीसगढ़ के चार सौ से ज्यादा किसान गुजरात विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए वहां कूच कर रहे हैं। राज्य के पांच किसान संगठनों के लगभग साढ़े तीन सौ किसानों ने गुजरात जाने की सहमति दी है। किसानों के मुताबिक, वे वहां की जनता और किसान संगठनों से मुलाकात करके उन्हें भाजपा की असलियत बताएंगे। दरअसल, 2013 में भाजपा ने राज्य के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि यदि वह तीसरी बार सत्ता में आई तो धान का समर्थन मूल्य 1,410 से बढ़ाकर सीधे 2,100 रुपये प्रति क्विंटल करेगी, साथ में प्रति क्विंटल 300 रुपये बोनस भी देगी, लेकिन चार

सालों में बीजेपी ने अपना वादा नहीं निभाया।

हालांकि, किसानों के गुजरात जाने की पहल से राज्य की भाजपा सरकार सकते में है। नाराज किसानों को सरकार आश्वस्त दे रही है कि उनके हितों का बखूबी ध्यान रखा जा रहा है। उन्हें अब तक कई तरह की योजनाओं से लाभान्वित किया गया और 2,100 करोड़ रुपये का बोनस भी दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह के मुताबिक कीटनाशक, उर्वरक, बीज, सस्ता लोन, मुफ्त बिजली, बैंकों की ऋण अदायगी पर रोक, फसल और स्वास्थ्य बीमा के अलावा खेती किसानी के लिए कई तरह की योजनाओं को लाकर उनकी सरकार ने कृषि को बेहद सस्ता और उपयोगी बना दिया है। उन्होंने भरोसा जताया है कि इन योजनाओं से किसानों की आमदनी जल्द ही दोगुनी हो जाएगी।

खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन

बिहार में पिछले वित्तवर्ष के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड ऊंचाई को छू गया। यह वृद्धि कुल उत्पाद और प्रति हेक्टेयर उपज, दोनों ही संदर्भ में हुई है। प्रदेश के कृषि विभाग ने यह जानकारी दी है। कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने कहा कि प्रदेश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन वर्ष 2016-17 में 185.61 लाख टन हुई जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले का रिकॉर्ड 178.29 लाख टन था जिसे वर्ष 2012-13 में हासिल किया गया था। कुमार ने कहा, पिछले वर्ष खाद्यान्न उपज भी 27.77 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी और यह भी एक रिकॉर्ड है। प्रदेश कृषि विभाग द्वारा जारी किए गए विज्ञप्ति में कहा गया कि रिकॉर्ड उत्पादन मक्का के संदर्भ में भी हासिल किया गया जो करीब 38.46 लाख रहा। प्रति हेक्टेयर उपज 53.35 क्विंटल रही। इससे पूर्व मक्के के उत्पादन का बेहतरीन आंकड़ा वर्ष 2012-13 का है जब 27.56 लाख टन का उत्पादन हुआ था। तब प्रति हेक्टेयर उपज 39.75 क्विंटल की हुई थी। उन्होंने कहा कि हमें वर्ष 2017-22 के लिए तय किए गए कृषि रोडमैप के उद्देश्यों को हासिल कर लेने की उम्मीद है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उम्मीद व्यक्त की है कि हरेक भारतीय के खाने में कम से कम एक बिहार को प्रिय व्यंजन हो। लगभग 1.54 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं के साथ इस महत्वाकांक्षी रूपरेखा को पिछले सप्ताह पेश किया गया।

भावांतर योजना नोटबंदी और जीएसटी जैसी है- अजय सिंह

मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी भावांतर भुगतान योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि यह योजना किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। अजय सिंह ने कहा कि जिस तरह नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का फैसला बगैर सोचे-समझे लिया गया था, उसी तरह प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना लागू कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना में किसानों को पचास हजार रुपए नकदी भुगतान करने की बात एक बार फिर असत्य साबित हुई। व्यापारी और बैंक दोनों किसानों को नकद भुगतान से इनकार कर रहे हैं। पहले से ही संकट झेल रहे किसान पूरे प्रदेश में आक्रोशित हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसानों को उनकी फसलों के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। उनके अनुसार कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने अपने बयान में स्वयं स्वीकारा है कि किसानों को उसकी उपज का कम दाम मिल रहा है। अजय सिंह ने मांग की है कि मुख्यमंत्री भावांतर योजना वापस लें और किसानों की फसल समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा करें।

यूट्यूब से खेती सीखकर फेसबुक पर बेचते हैं फसल

हरियाणा के फतेहाबाद जिले के चुहड़पुर गांव के युवा किसान हरविंदर सिंह लाली ने अन्य काश्तकारों को एक नई राह दिखाई है। उन्होंने सोशल मीडिया में व्हाट्सअप, फेसबुक, टिवटर व यूटयूब से जुड़कर हर्बल खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ा और आज उसके दिखाए रास्ते पर गांव के अन्य किसान भी चल रहे हैं। हरविंदर सिंह ने यूट्यूब के माध्यम से खेती की आधुनिक मशीनों व तकनीक का ज्ञान प्राप्त किया और फिर फेसबुक और व्हाट्सअप पर अपने उत्पाद बेच दिए। हरविंदर कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसका मानना है कि हर्बल खेती में कीट प्रवेश नहीं करते। हरविंदर ने बताया कि उसे फेसबुक पर खरीददार हर्बल खेती के उत्पाद की मुंहमांगी कीमत देने को तैयार हैं। हरविंदर ने पिछले लगभग 15 सालों से अपने खेतों में पराली नहीं जलाई। पराली न जलाने से खेती की उर्वरक क्षमता में जबरदस्त इजाफा हुआ। जब तक दूसरे किसान गेंहू बोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब तक उनके खेते में गेंहू अंकुरित हो जाता हैं। हरविंदर का कहना है कि इस खेती में लागत कम लगती है, बस उत्पादन दूसरे से कम होता है, लेकिन उसका वाजिब दाम मिलने से हरविंदर सिंह को इसका कोई मलाल नहीं है। उसका मानना है कि अपने मुनाफे के लिए दूसरे की सेहत से खिलवाड़ बिल्कुल भी सही नहीं है। ●

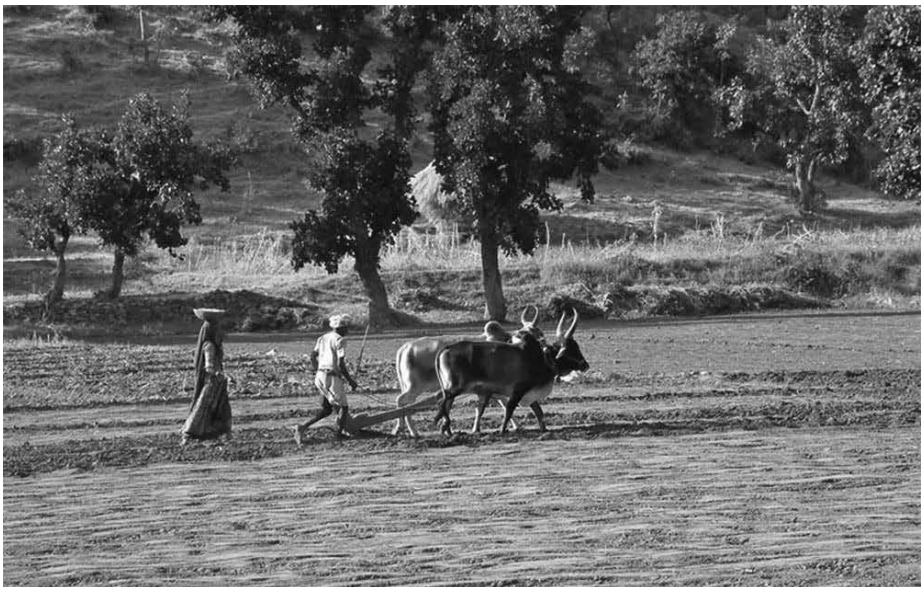

शिक्षित युवाओं को किसान बनाने की चुनौती

'आर्या' की शुरुआत के समय प्रोफेसर एम. एस. स्वामीनाथन ने कहा था, 'जब तक कृषि को आकर्षक और फायदेमंद नहीं बनाया जाएगा, तब तक युवाओं को इस क्षेत्र में कायम रखने में कठिनाई होगी।'

पांडुरंग हेगड़े

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसकी स्मृति में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है क्योंकि इस दिन पूरे विश्व में 150 से अधिक देश इसका आयोजन करते हैं और खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। इसका उद्देश्य 2030 तक भूख से मुक्त विश्व का लक्ष्य प्राप्त करना है।

इस वर्ष की विषयवस्तु 'प्रवास के भविष्य में बदलाव, खाद्य सुरक्षा में निवेश और ग्रामीण विकास' थे।

एफएओ का आकलन है कि भूख, गरीबी और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले मौसमी बदलाव की वजह से लगभग 763 मिलियन लोग अपने ही देश में किसानी छोड़कर बेहतर आजीविका के अवसरों की तलाश में प्रवास कर जाते हैं। भारत की लगभग एक तिहाई आबादी यानी 300 मिलियन से अधिक लोग प्रवासी हैं।

भारत की जनगणना रिपोर्ट बताती है कि लगभग 84 प्रतिशत लोग अपने राज्य के भीतर ही प्रवास करते हैं और लगभग 2 प्रतिशत लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों से बड़ी तादाद में लोग काम और बेहतर रोजगार की तलाश में भारत के विभिन्न हिस्सों में चले गये हैं। इनमें से ज्यादातर लोग अल्पकालीन प्रवासी हैं, जो थोड़े समय के लिए मजदूरी करते हैं और इसके बाद अपने मूल राज्य में वापस जाकर अपनी छोटी जोतों पर काम करते हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अनुसार जब किसानों से बातचीत की गई तो 45 प्रतिशत किसानों ने कहा कि वे खेती छोड़ना चाहते हैं। इसके कई कारण हैं। इनमें खासतौर से उत्पादकता में गिरावट और युवा पीढ़ी के लिए खेती में कोई आकर्षण न होने की वजह से लोग प्रवास करने को मजबूर हो जाते हैं।

एफएओ ने चेताया है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाएं जिससे कि ग्रामीण युवा अपने घरों को न छोड़ें। इसके लिए उन्हें लचीली आजीविका प्रदान करानी होगी ताकि प्रवास की चुनौतियों से निपटा जा सके। कृषि से इतर कारोबारी अवसर भी पैदा करने होंगे। इस संबंध में खाद्य प्रसंस्करण और बागवानी उपक्रमों के जरिए खाद्य सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। इस समय यह बहुत आवश्यक है कि ग्रामीण समुदाय को लंबी राहत देने के लिए सतत विकास की योजना तैयार की जाए।

राष्ट्रीय कृषक आयोग का कहना है कि कृषिक्षेत्र में युवाओं को कायम रखने के लिए शिक्षित करना चाहिए। आयोग की सिफारिशों को मानते हुए 2007 में संसद ने राष्ट्रीय कृषि नीति को अपनाया था। इसमें कृषि में युवाओं की संलिप्तता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। नीति में कहा गया है कि कृषि संबंधी सहयोगी उद्योगों के जरिए युवाओं को खेती में संलग्न किया जाए। 2014 में केन्द्र में राजग सरकार के आने के बाद इस संकट को दूर करने के लिए कई कदम उठाए गये। इस संबंध में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इत्यादि ऐसी कुछ योजनाएं हैं जो किसान समुदाय को राहत पहुंचा रही हैं। ये सभी कार्यक्रम प्रवास के संकट को कम करने का हल प्रदान कर रहे हैं, चाहे यह संकट जलवायु परिवर्तन से पैदा हुआ हो या वर्षा की कमी से या फिर फसल खराब होने के कारण।

सरकार ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है, जिसके तहत 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस समय देश की आजादी को 75 वर्ष पूरे होंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए नए प्रयास कर रही है।

सबसे अनोखा कदम है 'आर्या' यानी अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। इसकी शुरुआत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने की है। इसका उद्देश्य सतत आय का जरिया प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस पहल के जरिए बाजार तक पहुंच बनाई जाएगी ताकि युवा पीढ़ी अपने गांवों को लौट सके। कृषि विज्ञान केन्द्र इस योजना को 25 राज्यों में क्रियान्वित कर रहे हैं। इस तरह प्रत्येक राज्य के कम से कम एक जिले में यह योजना चल रही है। इस योजना के तहत कारगर तरीकों को प्रकट करना है जो युवाओं के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी हों और जिनमें उन्हें आकर्षित करने की क्षमता हो।

'आर्या' की शुरुआत के समय प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा था, 'जब तक कृषि को आकर्षक और फायदेमंद नहीं बनाया जाएगा, तब तक युवाओं को इस क्षेत्र में कायम रखने में कठिनाई होगी।' जब मौजूदा किसान खेती करना छोड़ रहे हों, तो ऐसे समय में अगर कृषि को फायदेमंद न बनाया गया तो शिक्षित युवाओं को खेती में प्रवृत्त करना बहुत कठिन होगा। जब तक उत्पादकता या आय में इजाफा नहीं होगा, तब तक युवा खेतीबाड़ी की तरफ आकर्षित नहीं होंगे।

स्किल इंडिया के अंग के रूप में एक अन्य पहल को भारतीय कृषि कौशल परिषद का समर्थन प्राप्त है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र की क्षमता बढ़ाना और प्रयोगशाला तथा खेतों के बीच के अंतर को कम करना है। यह कार्य किसानों, खेत मजदूरों और संबंधी उद्योग में संलग्न लोगों के कौशल को बढ़ाकर किया जा रहा है।

उम्मीद की जाती है कि इन योजनाओं के जरिए युवाओं को खेती की तरफ दोबारा आकर्षित करने में सफलता मिलेगी। अगर ऐसा न किया गया तो हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां किसान परिवार से संबंधित युवा खेती को रोजगार के रूप में अपनाने से परहेज करेंगे। उन्हें इस बात का अनुभव है कि किसान का जीवन कितना कठिन होता है और कड़ी मेहनत के बावजूद उसे अच्छी आय प्राप्त नहीं होती। उन्हें यह अनुभव भी है कि सूखे के समय फसल का कितना नुकसान होता है और किसान कर्जदार हो जाते हैं।

सरकार द्वारा हाल में उठाए गए कदमों के कारण और खेती में तकनीकी नवाचारों के जरिए नए अध्याय की शुरुआत हो रही हैं। इन प्रयासों के जरिए तकनीकी संकट दूर होने में मदद मिलेगी और उपभोक्ता के साथ सीधा संबंध स्थापित होगा, जिससे आय सुनिश्चित हो सकेगी। इस दिशा में सरकार द्वारा 2016 में ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अखिल भारतीय इलेक्ट्रोनिक कारोबारी पोर्टल है। इसके नेटवर्क के जरिए मौजूदा कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) मंडियां कृषि जिंसों के लिए एक समेकित राष्ट्रीय बाजार के रूप में काम करती हैं।

देश की 25 प्रतिशत आबादी 18-29 वर्ष आयु वर्ग की है। इस आबादी में खेती की तरफ युवाओं को आकर्षित करने की अपार क्षमता मौजूद है। खेती युवा पीढ़ी को वह अवसर प्रदान करती है कि वह खाद्यान्न में इजाफा करके देशवासियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके और अपने लिए रोजगार पैदा कर सके। सरकार को ऐसे सफल युवा किसानों को चिन्हित करना चाहिए और युवाओं को आकर्षित करने के लिए नीतिगत समर्थन प्रदान करना चाहिए, ताकि लाखों लोगों को सुरक्षित एवं पोषक भोजन प्राप्त होने का महान लक्ष्य पूरा हो सके।

इन परिस्थितियों के तहत हमें बहु-आयामी रणनीतियों की जरूरत है ताकि युवा किसानों को खेती में प्रवृत्त किया जा सके। 'जय जवान-जय किसान' सूत्रवाक्य की तरह हमें ऐसा सूत्रवाक्य बनाना चाहिए कि किसान भी धरती-माता का एक सिपाही है, जो मिट्टी की सुरक्षा करता है तथा देशवासियों का पेट भरता है। ●

रबी पूर्व इंटरफेस परिचर्चा

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) तथा पशु पालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग (डीएएचडीएंडएफ) के बीच फसल, बीज, पौध संरक्षण, बागवानी, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन आदि से सम्बंधित तकनीकी विषयों पर परिचर्चा की गई ताकि कृषि उत्पादन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। मुख्य रूप से इस परिचर्चा में किसानों के लिए नवीन एवं प्रमाणिक बीज की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाना लक्ष्य रखा गया। ताकि हर राज्य में किसानों को ये आसानी से उपलब्ध हो सकें। गाय के गोबर और गौ-मूत्र से बनने वाले जैव कीटनाशक पर भी प्रमुखता से चर्चा की गई।

ज्यादा से ज्यादा किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड का लाभ मिल सके इसके लिए हैण्ड हेल्ड डिवाइस विकसित करने का निर्णय लिया गया।

किसानों की आय को दोगुना करने के लिए मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, उन्नत बीज के विषय में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नवीन तकनीक का प्रचार-प्रसार तीव्र गति से करने का फैसला किया गया।

इस बात पर भी सहमति हुई कि जिन कृषि सम्बन्धी विषयों पर कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ध्यान आकर्षित किया गया है, उन पर एक समयबद्ध तरीके से तकनीकी हल निकाले जाएंगे ताकि उन्हें किसानों तक पहुंचाया जा सके।

वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प

किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सामने एक लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य है वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का। देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किसानों की समग्र भलाई के लिए इस तरह का कोई लक्ष्य देशवासियों के सामने रखा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कृषि मंत्रालय को यह काम 2022 तक अंजाम देना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री के इस सपने को साकार करने में लगा हुआ है। देश के किसान एवं कृषि अधिकारी भी किसानों की आय बढ़ाने की योजनाओं के क्रियान्वन में जुटे हुए हैं। देश के 562 जिलों में 19 अगस्त से 11 सितम्बर 2017 तक कृषि विज्ञान केन्द्रों के संयोजकत्व में किसानों की आय दुगनी करने के लिए संकल्प सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिनमें कुल 47,08,47 किसानों एवं कृषि कर्मियों ने भाग लिया।

सरकार के सात-सूत्रीय कार्यक्रम

उत्पादन में वृद्धि

फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई में सुधार बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सरकार ने सिंचाई हेतु बजट बढ़ाया है। उद्देश्य है 'प्रति बूंद अधिक फसल'। सूखे की समस्या से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है, जिसका लक्ष्य हर खेत को पानी पहुंचाना है। इसीलिए वर्षों से लम्बित मध्यम एवं बड़ी सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जल संचयन एवं जल प्रबंधन के साथ-साथ वाटरशेड डेवलपमेंट का कार्य भी तेज गति से कार्यान्वित हो रहा है।

लागत का प्रभावी उपयोग

किसानों को उनकी जमीन की उपजाऊ क्षमता की जानकारी देने के लिए सॉयल हैल्थ कार्ड स्कीम चल रही है। सॉयल हैल्थ कार्ड्स के प्रावधान से संतुलित उर्वरकों के उपयोग के कारण किसानों की लागत में कमी हो रही है एवं उत्पादन में भी बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। इसी प्रकार नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता तथा यूरिया का अवैध रूप से रासायनिक उद्योग में दुरुपयोग भी समाप्त हो गया है। सरकार जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। कृषि प्रक्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग, जैसे कृषि प्रक्षेत्र के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्पादकता एवं कृषि क्षेत्र का अनुमान, सूखे का पूर्वानुमान, धान खाली क्षेत्र का रबी मौसम में बेहतर उपयोग आदि से प्लानिंग एवं उत्पादन बढ़ोतरी में सहायता मिल रही है। इसके अतिरिक्त किसान कॉल सेंटर, किसान सुविधा एप जैसे दूरसंचार एवं ऑनलाइन माध्यमों से किसानों तक समय पर सूचना एवं एडवाइजरी भी पहुंचाई जा रही है।

उपज के बाद नुकसान कम करना

फसलों की उपज के बाद उसका भंडारण करना किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। मजबूरी में कम कीमत पर उपज की बिक्री करनी पड़ती है। इसलिए सरकार का मुख्य ध्यान किसानों को प्रोत्साहित करना है कि वे वेयरहाउस का उपयोग कर अपनी फसल को मजबूरी में न बेचें। इसके लिए प्राप्त जमा रसीद के आधार पर किसानों को बैंकों से ऋण मुहैया कराया जा रहा है और ब्याज में छूट भी दी जा रही है। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार का पूरा फोकस ग्रामीण भंडारण एवं एकीकृत शीत श्रृंखला पर है।

गुणवत्ता में वृद्धि

सरकार खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से कृषि में गुणवत्ता को बढ़ावा दे रही है। छह हजार करोड़ रुपए के आवंटन से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टरों के फार्वर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज पर कार्य करके फूड प्रोसेसिंग क्षमताओं का विकास किया जाएगा जिससे 20 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और करीब साढ़े पांच लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

विपणन (कृषि बाजार) में सुधार

केंद्र सरकार कृषि बाजार में सुधार पर जोर दे रही है। तीन सुधारों के साथ ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना की शुरुआत की गई है जिसमें अभी तक 455 मंडियों को जोड़ा जा चुका हैं। कई मंडियों में ऑनलाइन कृषि बाजार ट्रेंडिग भी शुरू हो चुकी है। इसके

अतिरिक्त सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में बाजार सुधार की दिशा में एक मॉडल एपीएमसी एक्ट राज्यों को जारी किया गया है जिसमें निजी क्षेत्र में मंडी की स्थापना, प्रत्यक्ष विपणन मंडी यार्ड के बाहर बनाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त संविदा कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक मॉडल एक्ट बनाने का कार्य भी कर रही है।

जोखिम, सुरक्षा एवं सहायता

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। यह किसानों की आय का सुरक्षा कवच है। खरीफ व रबी फसल में अब तक की सबसे न्यूनतम दर तय की गई है, जो क्रमशः अधिकतम 2 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत है। इसमें खड़ी फसल के साथ-साथ बुवाई से पहले और कटाई के बाद के जोखिमों को भी शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, नुकसान के दावों का 25 प्रतिशत भुगतान भी तत्काल ऑनलाइन किया जा रहा है। इस योजना में किसानों को फसल नुकसान के त्वरित भुगतान हेतु उपज के अनुमान के लिए ड्रोन तकनीक तथा फसल कटाई के लिए स्मार्ट फोन जैसी नई तकनीकों का उपयोग भी कई राज्यों में प्रारम्भ किया जा रहा है।

अन्य गतिविधियां

बागवानीः बागवानी का 'समेकित विकास मिशन' किसानों की आमदनी दोगुनी करने में अहम भूमिका निभा रहा है। इसके लिए बेहतर रोपण साम्रगी, उन्नत बीज और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, हाई डेनसिटी प्लांटेशन, रिजुविनेशन, प्रिसिजन फार्मिंग जैसे कदम उठाए गये हैं।

एकीकृत फार्मिंगः सरकार एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) पर भी जोर दे रही है। खेती के साथ-साथ बागवानी, पशुधन, मधुमक्खी पालन आदि पर ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना से किसानों की आय में वृद्धि होगी और सूखा, बाढ़ या अन्य गंभीर मौसमी आपदाओं के प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।

श्वेत क्रांतिः राष्ट्रीय गोकुल मिशन से देशी नस्लों को संरक्षण मिल रहा है। साथ ही नस्लों की आनुवंशिक संरचना में भी सुधार किया जा रहा है जिससे दूध उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि स्थापित करने जा रही है। साथ ही डेयरी उद्यमिता विकास स्कीम से स्वरोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। श्वेत क्रांति में तेजी लाकर किसानो की आय बढ़ानी है।

नीली क्रांतिः यह समेकित मात्स्यिकी विकास व प्रबंधन की व्यवस्था वाली नई पहल है जिसमें अंतर्देशीय मात्स्यिकी, जल कृषि, समुद्री मछली, मैरीकल्चर व राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के कामों के अलावा डीप सी फिशिंग की भी कार्ययोजना प्रारंभ की गई है।

कृषि वानिकीः हर खेत के मेड़ पर पेड़, परती भूमि पर पेड़ तथा इंटर क्रॉपिंग में पेड़ लगाने के उद्देश्य से 'कृषि वानिकी उपमिशन' क्रियान्वित किया गया है।

मधुमक्खी पालन विकासः बड़ी संख्या में किसानों एवं मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही मधुमक्खी पालकों और शहद समितियों/फर्मों/कंपनियों/मधुमक्खी कॉलोनियों का पंजीकरण किया जा रहा है। प्रत्येक राज्य में एक रोल मॉडल समेकित मधुमक्खी पालन विकास केंद्र (आईबीडीसी) की स्थापना की जा रही है।

रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंटः इसके तहत गरीब मुर्गी पालक परिवारों को पूरक आय एवं पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत भेड़, बकरी, सूअर एवं बत्तख पालकों की आय बढ़ाने के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं और उनमें जागरूकता पैदा की जा रही है। ●

खूब लहलहाई फसलें इस साल

मानसून 2016 के दौरान अच्छी वर्षा एवं सरकार द्वारा की गई विभिन्न नीतिगत पहलों के परिणामस्वरूप इस वर्ष रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। 2016-17 के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 275.68 मिलियन टन तक अनुमानित है जो 2013-14 के दौरान प्राप्त विगत 265.04 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 10.64 मिलियन टन (4.01 प्रतिशत) अधिक है। मौजूदा वर्ष का उत्पादन विगत पांच वर्षों (2011-12 से 2015-16) के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में भी 18.67 मिलियन टन (7.27 प्रतिशत) अधिक है। मौजूदा वर्ष का उत्पादन विगत वर्ष के खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में उल्लेखनीय रूप से 24.12 मिलियन टन (9.59 प्रतिशत) अधिक है।

2016-17 के दौरान मुख्य फसलों का अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है-

खाद्यान्न - 275.68 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
चावल - 110.15 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
गेहूं - 98.38 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
मोटे अनाज - 44.19 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
मक्का - 26.26 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
दलहन - 22.95 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
चना - 9.33 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
तूर - 4.78 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
उड़द - 2.80 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
तिलहन 32.10 मिलियन टन
सोयाबीन - 13.79 मिलियन टन
मूंगफली - 7.56 मिलियन टन
रेपसीड एवं सरसों - 7.98 मिलियन टन
अरंडी बीज - 1.42 मिलियन टन
कपास - 33.09 मिलियन गांठे (प्रति 170 कि.ग्रा. की)
गन्ना - 306.72 मिलियन टन

कौशल विकास से संवरेगा युवाओं का भविष्य

कृषि चौपाल

हमारे देश में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। हमारी कुल आबादी के पैंसठ फीसद लोग 35 वर्ष से कम के हैं। इनको टारगेट कर स्किल इंडिया के तहत कौशल विकास का काम किया जाना है। एक अनुमान के मुताबिक इतनी बड़ी आबादी को अगर कौशल से सुसज्जित कर दिया जाए तो भारत दुनिया का सबसे दक्ष कार्यबल वाला देश बन जाएगा।

कौशल विकास के मार्फत रोजगार का वातावरण पैदा करना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ड्रीम योजना का हिस्सा है। इसका मकसद रोजगार और नौकरी दिलाने के माहौल में गुणात्मक बदलाव लाना है।

कौशल विकास के जरिए युवकों को नौकरी की तलाश में भटकने के लिए छोड़ने के बजाय उन्हें खुद का रोजगार खड़ा करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। कौशल विकास का काम नया नहीं है। मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने इसे नया तेवर और धार देने का काम किया है। इसके जरिए 2022 तक न्यू इंडिया के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने का उपक्रम किया जा रहा है। ढाई साल पहले कौशल विकास के लिए अलग से नए मंत्रालय 'कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय' का गठन किया गया।

कौशल विकास के काम को अत्याधुनिक रूप दिया जा रहा है। इसके जरिए गांव, पंचायत, प्रखंड, प्रमंडल स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित प्रशिक्षण केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। नए कौशल विकास केंद्र शुरू करने के साथ ही काम को विस्तार देते हुए देश भर में चल रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मातहत ले आया गया है। पहले आईटीआई श्रम मंत्रालय के अंतर्गत चल रहे थे। यह सब न्यू इंडिया के निर्माण की दिशा में द्रुत गति से बढ़ने के लिए किया जा रहा है। यह सब युवकों को रोजगार संपन्न बनाने की अनिवार्यता का हिस्सा है।

रोजगार संपन्न बनाने के लिए तीन स्तरों पर काम हो रहा है। पहला- स्किल इंडिया। दूसरा- स्टार्ट अप इंडिया। और तीसरा- मेक इन इंडिया। इन तीनों को मकाम हासिल करना आसान नहीं है। इसके लिए कौशल संपन्न लोगों की बदौलत मीलों सफर तय करना है।

हमारे देश में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। हमारी कुल आबादी के पैंसठ फीसद लोग 35 वर्ष से कम के हैं। इनको टारगेट कर स्किल इंडिया के तहत कौशल विकास का काम किया जाना है। एक अनुमान के मुताबिक इतनी बड़ी आबादी को अगर कौशल से सुसज्जित कर दिया जाए तो भारत दुनिया का सबसे दक्ष कार्यबल वाला देश बन जाएगा। आज रोजगार की तलाश में हर साल बाजार में दस लाख युवक आ रहे हैं, लेकिन कौशल के अभाव में उनको उचित अवसर नहीं मिल पाता। नियोक्ता इस आधार पर उनकी पात्रता को कम करके आंकता है कि उनके पास जॉब के अनुरूप जानकारी नहीं है।

किसी भी विकसित देश का आधार उसके वर्क फोर्स पर निर्भर होता है। भारत में महज दो से तीन फीसदी लोगों का ही वर्क फोर्स है। जबकि जापान में 15 फीसदी तो चीन में तीस फीसदी लोग वर्क फोर्स बनकर विकास के इंजन को चला रहे हैं। सक्षम राष्ट्र बनने के लिए वर्क फोर्स की तादाद बढ़ाने की जरूरत है। अगर आबादी कौशल संपन्न हो जाती है, तो अधिक आबादी का होना हमारे लिए वरदान बन सकता है।

कौशल विकास के जरिए कम पढ़े-लिखे लोगों को बाजार की मांग के अनुरूप तैयार किया जा सकता है। इन कौशल विकास केंद्रों में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल मैकेनिक से लेकर ब्यूटिशियन और सिलाई के काम में महिलाओं को दक्ष करने का प्रशिक्षण दिया जाना है। कौशल विकास मंत्रालय पीएमकेके के साथ आवासीय सुविधा को जोड़ने पर काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए आवंटनों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इसके जरिये सरकार की मंशा है कि एक करोड़ गरीब परिवारों को इस बार गरीबी रेखा ऊपर उठाया जा सके। ●

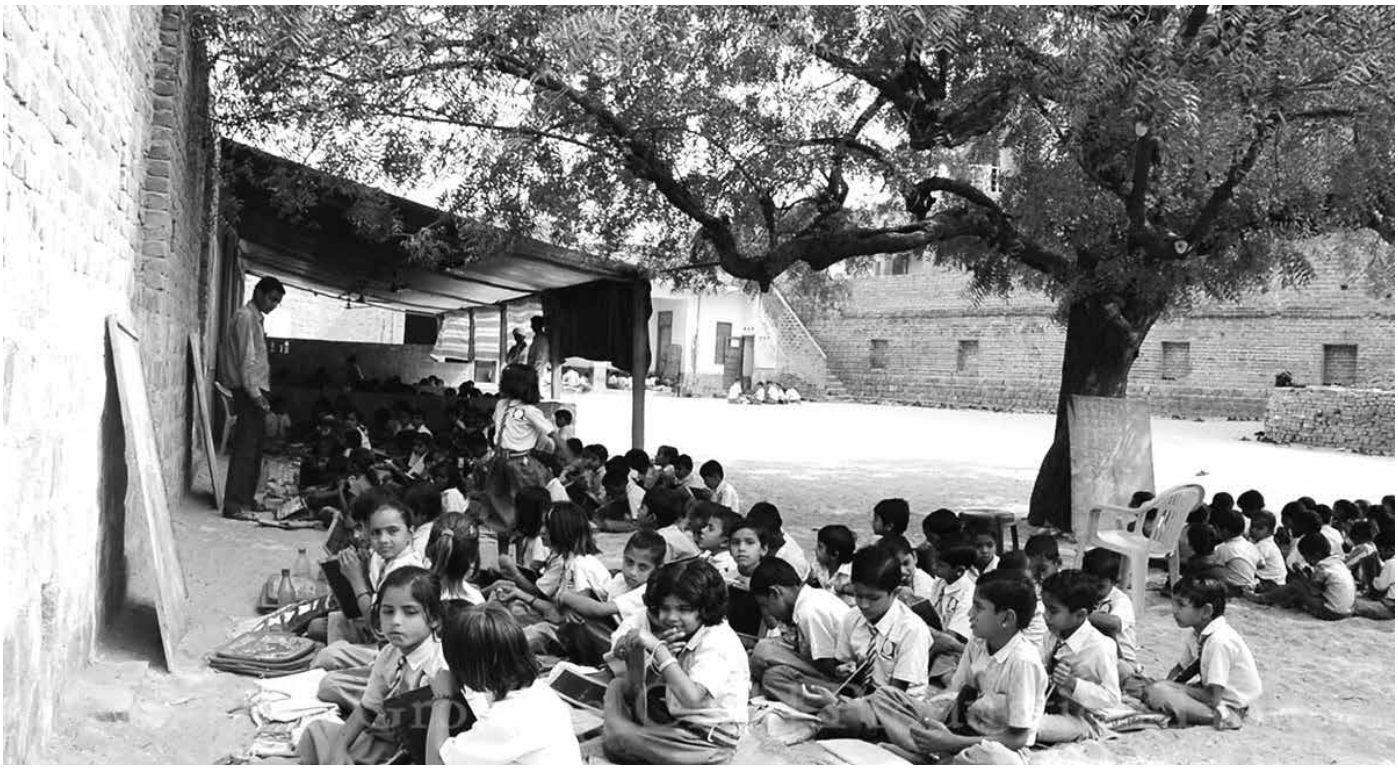

ऐसे पढ़ेगा इंडिया, ऐसे बढ़ेगा इंडिया?

ऐलीमेंटरी स्कूलों में इस समय अध्यापकों के 9 लाख पद और प्राइमरी स्कूलों में एक लाख पद खाली पड़े हैं। झारखंड की हालत सबसे बुरी है। यहां तो 70 प्रतिशत पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में 50 प्रतिशत, बिहार में 36 प्रतिशत अध्यापक पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखण्ड में भारत की 33.3 प्रतिशत आबादी रहती है। इन राज्यों में चार में से एक अध्यापक पद खाली है। मोदी मंडली द्वारा विकास के मॉडल के रूप में पेश किये जाने वाले गुजरात में स्कूलों के 31 प्रतिशत पद खाली हैं।

■ **लखविंदर**

गरीब बच्चों की एक अच्छी-खासी संख्या स्कूल नहीं जा पाती। जो स्कूल जाते भी हैं उनमें से बड़ी संख्या सरकारी स्कूलों से ही शिक्षा ले पाने में सक्षम है। छोटे-बड़े निजी स्कूलों की ऊंची फीसें और अन्य खर्चे पूरा कर पाना सरकारी स्कूलों के इन बच्चों के परिजनों के बस की बात नहीं। सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 5 दिसम्बर 2016 को लोक सभा में पेश आंकड़ों में सरकारी स्कूलों की बुरी हालत के बारे में कुछ तथ्य सामने आये हैं। भारत के प्राइमरी व ऐलीमेंट्री स्तर के स्कूलों में बड़े स्तर पर अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। सरकारें इन पदों को भरने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। सरकारी स्कूलों के प्रति यह रवैया सरकारों की सबको शिक्षा देने की कोशिशों की झूठी बातों का भांडा फोड़ रहा है।

देश स्तर पर प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों के 8 प्रतिशत और एलीमेन्ट्री स्कूलों में 15 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहना हो तो भारत में हर छः अध्यापकों के पीछे एक पद खाली पड़ा है। भारत के कुल 26 करोड़ स्कूली बच्चों में से 14.3 करोड़ बच्चे (55 प्रतिशत) सरकारी स्कूलों में जाते हैं। छात्रों की इतनी बड़ी संख्या को सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी के चलते पढ़ाई का बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है।

ऐलीमेंटरी स्कूलों में इस समय अध्यापकों के 9 लाख पद और प्राइमरी स्कूलों में एक लाख पद खाली पड़े हैं। झारखंड की हालत सबसे बुरी है। यहां तो 70 प्रतिशत पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में 50 प्रतिशत, बिहार में 36 प्रतिशत अध्यापक पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखण्ड में भारत की 33.3 प्रतिशत आबादी रहती है। इन राज्यों में चार में से एक अध्यापक पद खाली है। मोदी मंडली द्वारा विकास के मॉडल के रूप में पेश किये जाने वाले गुजरात में स्कूलों के 31 प्रतिशत पद खाली हैं।

यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सरकारी स्कूलों के लिये तय पदों की संख्या वैसे भी कम है। अध्यापक बच्चों की पढ़ाई की तरफ अच्छी तरह ध्यान दे सकें, इसके लिये जरूरी है कि प्रति अध्यापक बच्चों की

संख्या कम से कम हो। बच्चों के विकास पर अध्यापक अच्छी तरह ध्यान दे पायें इसके लिये जरूरी है कि एक अध्यापक को 10-15 बच्चे ही पढ़ाने के लिये दिये जायें। लेकिन हमारे भारत की तो बात ही निराली है। शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिये सरकारें जुबानी खर्च तो बहुत करती हैं लेकिन वास्तव में इसकी हालत सुधारने के लिये कुछ नहीं किया जाता। तोड़-मरोड़ कर पेश किये जाने वाले आंकड़ों के जरिए केन्द्र व राज्य सरकारें प्रति अध्यापक स्कूली छात्रों की संख्या कम दिखाने की कोशिश करती हैं। शिक्षा अधिकार कानून में प्रति अध्यापक अधिक से अधिक छात्रों की संख्या 30 तय की गयी है। स्कूली छात्रों की प्रति अध्यापक संख्या सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश स्तर पर 32 है। देखने में यह संख्या शिक्षा अधिकार कानून के मापदण्डों के मुताबिक प्रतीत होती है। लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। प्राइमरी के बाद की शिक्षा के लिये विभिन्न विषयों के लिये विभिन्न अध्यापकों की जरूरत होती है। मान लीजिए कि किसी कक्षा में 60 बच्चे हैं और इस कक्षा को पढ़ाने के लिये विभिन्न विषयों के 5 अध्यापक रखे गये हैं। यहां अगर अध्यापकों और छात्रों की संख्या के मुताबिक देखा जाए तो 12 छात्रों के पीछे 1 अध्यापक है। लेकिन वास्तव में हर अध्यापक को 60 बच्चे पढ़ाने पढ़ेंगे! सरकारें इसी ढंग से अध्यापकों और छात्रों के अनुपात के आंकड़े तोड़-मरोड़ कर पेश करती हैं।

लेकिन इस ढंग से तैयार किये गये आंकड़ों के मुताबिक भी हालत बहुत बुरी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में प्राइमरी स्कूलों में 40-40, 50-50 बच्चों के पीछे एक अध्यापक है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ में 30 से 40 बच्चों के पीछे एक अध्यापक है।

8 अगस्त 2016 को संसद में पेश एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में सिर्फ एक-एक अध्यापक है। मध्य प्रदेश इस मामले में सबसे आगे है। यहां ऐसे 17,874 स्कूल हैं। जनता से अच्छे दिनों के झूठे वायदे करके केन्द्र में पहुंची भाजपा की इस राज्य में पिछले 13 वर्षों से सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश ऐसे 17,602 स्कूलों के साथ दूसरे नम्बर पर है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संसद में पेश रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में ऐसे 13,575, आंध्र प्रदेश में 9,540 और झारखंड में 7,391 स्कूल हैं।

सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों की भी हालत बुरी ही है। पंजाब में सन् 1967 में ऐसे 484 स्कूलों के लिये 10 हजार अध्यापकों की भर्ती का लक्ष्य तय किया गया था। लेकिन सिर्फ 4 हजार अध्यापक ही भर्ती किये गये। सन् 2003 के बाद इन स्कूलों के लिये अध्यापकों की भर्ती बन्द कर दी गयी। सरकार को पूछो तो जवाब मिलता है कि जल्द ही भर्ती की जाएगी, लेकिन यह जल्द कभी नहीं आता।

सरकारें जरूरत के मुताबिक अध्यापकों की भर्ती नहीं करतीं। मसला और भी गंभीर तब हो जाता है जब सरकारें अध्यापकों को बहुत सारे गैर-अध्यापन कामों में लगाये रखती हैं। चुनाव ड्यूटियां, सर्वेक्षणों, स्कूल के क्लरिकल काम आदि कामों में अध्यापकों का काफी ज्यादा समय लगता है।

मसला सिर्फ इतना नहीं है कि सरकारें जरूरत के मुताबिक अध्यापकों की भर्ती नहीं करतीं। मसला और भी गंभीर तब हो जाता है जब सरकारें अध्यापकों को बहुत सारे गैर-अध्यापन कामों में लगाये रखती हैं। चुनाव ड्यूटियां, सर्वेक्षणों, स्कूल के क्लरिकल काम आदि कामों में अध्यापकों का काफी ज्यादा समय लगता है। उदाहरण के तौर पर पंजाब के स्कूलों में कंम्प्यूटर अध्यापकों का अधिकतर समय तो स्कूल के क्लरिकल कामों में ही निकल जाता है। बच्चों को वे ठीक ढंग से समय नहीं दे पाते। कहने को तो पंजाब के सरकारी स्कूलों में शिक्षा दी जाती है लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। इसलिये स्कूलों में खाली पड़े पद भरने, अध्यापन व अन्य कामों से संबंधित पदों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन इतने से ही बात नहीं बनेगी। वास्तव में स्कूलों की संख्या बढ़ाने की भी जरूरत है। बहुत सारे बच्चे तो घर के नजदीक स्कूल न होने के कारण स्कूल नहीं जा पाते। पंजाब विधान सभा में 17 मार्च 2016 में पेश एक आंकड़े के मुताबिक पंजाब के 50 हजार बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। जो स्कूल मौजूद भी हैं उनकी हालत इतनी बुरी है कि बच्चों का स्कूल जाने का मन नहीं करता। अध्यापकों, इमारतों, शौचालयों, बैंचों, पीने का पानी, साफ-सफाई आदि संबंधी समस्याओं के कारण एक अच्छी-खासी संख्या सरकारी स्कूलों की तरफ मुंह नहीं करती। पंजाब के 21 हजार सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की कमी है। 1,700 स्कूलों में शौचालय नहीं है। सरकारी स्कूल नजदीक न होने, वहां बच्चों की संख्या अधिक होने, अध्यापकों की कमी और अन्य समस्याओं के कारण बहुत सारे गरीब लोग अपने बच्चों को शहरों-गांवों में खुले छोटे-छोटे निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिये मजबूर होते हैं। एक तो इन स्कूलों की फीसें और अन्य खर्चे गरीब माता-पिता मुश्किल से पूरा करते हैं, दूसरा इन स्कूलों में इमारतों, शौचालयों, बैंचों, पीने के पानी, साफ-सफाई आदि की बड़े स्तर पर कमी होती है। बेहतर सरकारी स्कूली व्यवस्था की कमी के कारण गरीब आबादी को इन निजी स्कूलों के हाथों लूट-खूसोट झेलनी पड़ रही है। पंजाब के उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है कि बाकी राज्यों की क्या हालत होगी।

भारतीय हुक्मरानों को नये-नये हवाई नारे देने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। ऐसा ही एक नारा है - 'पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया।' जरा पूछिए इनसे, तुम्हारे इतने बुरी स्कूली व्यवस्था के रहते कैसे पढ़ेगा इंडिया, कैसे बढ़ेगा इंडिया?

(साभार: आह्वान)

माहवार क्या-क्या काम हैं खेतीबाड़ी में

जनवरी

- गन्ने की फसल की कटाई की जाती है।
- नई फसल लगाने के लिए खेत को तैयार करते हैं।
- जो गेहूं देर से बोया जाता है, उसमे प्रथम सिंचाई जड़ अवस्था में करते हैं। अर्थात बुवाई के 21-25 दिन बाद।
- रबी दलहनों में पहली सिंचाई के बाद निराई-गुड़ाई करते हैं।
- चना, मटर, मसूर में कटुआ इल्ली के कोप से फसलों की रक्षा की व्यवस्था करते हैं।
- सरसों, राई, अलसी, चना इत्यादि रबी फसलों में फूल आते समय सिंचाई करते हैं।
- सूरजमुखी, मक्का और चारे हेतु घास की बोनी करते हैं।
- अमरूद, पपीते, आंवले और नींबू के पके फलों की तुड़ाई की जाती है।
- टमाटर के पौधों को बांस की लकड़ी का सहारा दिया जाता है।
- आलू के पौधों पर मिट्टी चढ़ाई जाती है।

फरवरी

- जनवरी में उगाई गई सब्जियों के पौधों की रोपाई की जाती है। खेतों में भिंडी, तोरई, कद्दू, लौकी, चौलाई और मूली के बीजों को बोते हैं और इन सबकी सिंचाई की जाती है।
- बौने गेहूं में उर्वरक की आखिरी मात्रा देकर सिंचाई करते हैं।
- सूर्यमुखी के खेत में निराई करते हैं और मिट्टी चढ़ाई जाती है।
- गन्ने के स्वस्थ बीज का चुनाव कर बीजोपचार करते हैं।
- बरसीम की कटाई 20 से 25 दिनों के अन्तर में की जाती है।
- सरसों, अलसी यदि पकने लगे हों तो उन्हें काट लिया जाता है।
- प्याज और लहसुन के खेतों में गुड़ाई करने के बाद मिट्टी चढ़ाते हैं।
- आलू की खुदाई करते हैं।

मार्च

- चने और अलसी की फसल काटकर खेत को अगली फसल के लिए तैयार करते हैं।
- चारे के लिए ज्वार व लोबिया की मिश्रित बोनी करते हैं।
- गन्ने में पानी दिया जाता हैं।
- अरहर, सरसों, चने और दूसरे दलहनी फसलों की कटाई की जाती है।
- खेत की जुताई करते हैं। इससे कीड़े मकोड़ों से पौधों की रक्षा होती है।
- कटी हुई फसलों को सुखाया जाता है।
- जो गेहूं असिंचित है, उसमें 2-3 प्रतिशत यूरिया का घोल छिड़कते हैं।
- प्याज और लहसुन की गुड़ाई की जाती है और उसके बाद मिट्टी चढ़ाते हैं।
- आलू की खुदाई करते हैं।
- ग्रीष्मकाल की सब्जियों की जैसे कद्दू, लौकी, भिण्डी, मूली आदि की बुवाई करते हैं।
- पपीता और केले के पेड़ों की सिंचाई की जाती है।

अप्रैल

- गेहूं की फसल की कटाई करते हैं। उसके बाद खेत को मूंग या चारे की फसल के लिये तैयार करते हैं।
- गन्ने में पानी देकर निराई-गुड़ाई करते हैं। उर्वरक देते हैं।
- मक्का, बरबटी, लूसन को काटकर-जानवरों को खिलाया जाता है।
- अहरह, जौ, सरसों, अलसी की कटाई की जाती है।
- खेत की जुताई की जाती है ताकि कीड़े-मकौड़ों से पौधों की रक्षा हो सके।
- आम के बगीचे में पानी देते हैं।
- नींबू प्रजाति के पेड़ों को सिंचाई नहीं देते।
- केले के पौधों में चारों ओर से निकलते हुए सकर्स को निकाल दिया जाता है।
- ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुवाई करते हैं। दूसरी खड़ी फसलों की हर सप्ताह सिंचाई की जाती है। प्याज और लहसुन की खुदाई करते हैं।

मई

- रबी फसलों की गहाई और सफाई करते हैं।
- मक्का, ज्वार, लोबिया इत्यादि की बुवाई शुरू हो जाती है।
- खेतों की जुताई कर मेड़ों को बांध देते हैं।
- गन्ने की फसल में 90-92 दिन के अंतर पर सिंचाई करते हैं।
- मक्का, ज्वार, संकर नेपियर घास की फसलों की सिंचाई 10-12 दिन के अन्तर पर करते हैं।
- केला और पपीता फलों व पत्तियों को बोरियों से ढककर तेज धूप से बचाया जाता है।
- कद्दू, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा को कीट रोग से बचाते हैं। निराई-गुड़ाई करते हैं। जो फल तैयार है, उसे तोड़ लेते हैं।
- आम के पेड़ों की देखभाल करते हैं।
- अरबी, अदरक, हल्दी की बुवाई की जाती है
- सागौन, खम्हार, बीजा, महुआ, शीशम इत्यादि पौधों के बीज बोने का यही समय है। बीज बोने के बाद रोज सुबह-शाम हल्की सिंचाई करते हैं।

जून

- धान का रोपा लगाया जाता है।
- खेतों को बंधान बांध दिया जाता है ताकि नमी हो। वर्षा होने के बाद खेत जोतकर बोनी करते हैं।
- मवेशियों को हरा चारा मिलते रहे इसलिए ज्वार, मक्का, ग्वार, लोबिया, संकर नेपियर घास फसलों की बुवाई करते रहते हैं।
- जो फसलें बोई गयी है, उसकी सिंचाई करते रहते हैं।
- मक्का, बाजरा, ज्वार, लोबिया की फसल, जो मार्च-अप्रैल में बोई गयी थी, उसकी कटाई करते हैं।
- धान की रोपा लगाने के बाद उसी खेत में सवई और ढेंचा की बोनी हरी खाद के लिए करते हैं।
- ऐसी जमीन जहां पानी नहीं रुकता वहां

दलहन-तिलहन फसलों के बोनी की जाती है।
- धान के खेत की मेड़ों पर अरहर या चारा वाली फसलों की बुवाई करते हैं।

जुलाई

- धान का रोपा लगाया जाता है। जो धान जून के अंत में बोया गया थी, उसकी निराई की जाती है।
- मक्का, जो मई या जून में बोई गयी थी, उसकी निराई की जाती है।
- इस महीने में फिर से मक्का बाजरा, ज्वार, अरहर आदि लगाते हैं।
- गन्ने पर मिट्टी चढ़ायी जाती है। कपास, मूंगफली की निराई-गुड़ाई करते हैं।
- सूरजमुखी की बुवाई करना शूरू हो जाता है।
- चारे के लिये सूडान घास, मक्का, नेथियर, रोड्स पारा आदि घास लगायी जाती है।
- आम के फलों की तुड़ाई करते हैं।
- नींबू में खाद देते हैं। अमरूद के पौधे लगाये जाते हैं। केले के नये बगीचे लगाते हैं और पौधों में खाद देते हैं।
- पपीते के बगीचे लगाते हैं।
- जून महीने में तैयार सब्जियों के पौधे का रोपण करते हैं।

अगस्त

- चारे की फसलों की कटाई की जाती है। जैसे ज्वार, बरबटी।
- खाली खेतों में सूरजमुखी की लगाते हैं।
- महीने के आखरी दिनों में रामतिल की फसल लगाते हैं।
- गन्ने एवं मूंगफली की निराई-गुड़ाई कर मिट्टी चढ़ाते हैं।
- धान की फसल में उर्वरक दिया जाता है।
- धान, ज्वार, अरहर, मूंग, उड़द, मक्का, सोयाबीन इत्यादि फसलों में खरपतवार निकालकर गुड़ाई करते हैं।
- मूंगफली में फूल आने के बाद मिट्टी चढ़ाते हैं।
- मक्के की फसल तैयार हो गई हो तो भुट्टे तोड़ लेते हैं और फिर खेत को रबी की फसल के लिये तैयार करते हैं।
- आम-अमरूद के नये बगीचे लगाते हैं। पपीता में खाद देते हैं। भिंडी और बरबटी

की तुड़ाई करते हैं। सभी फसलों को कीटनाशक, फफूंदीनाशक दवाइयों द्वारा कीड़ों, बीमारियों से बचाते हैं।

सितम्बर

- मक्का और ज्वार की कटाई करते हैं।
- धान के खेत में नमी न हो तो तो सिंचाई करते हैं।
- महीने के अन्त में अलसी, सरसों इत्यादि फसलें बोते हैं।
- रबी की फसलों के लिये खेत की तैयारी करते हैं।
- जल्दी पकने वाला आलू बोया जाता है।
- आम के नये लगाये पौधों की सुरक्षा करते हैं।
- अमरूद के बगीचों की सिंचाई करते हैं।
- धनिया की बुवाई करते हैं। देशी मटर, प्याज, मूली, गाजर, चुकन्दर, सेम, सौंफ, देर से आने वाली गोभी, पालक की बुवाई करते हैं।
- भिंडी और बरबरी आदि तैयार फसलों की तुड़ाई करते हैं।

अक्टूबर

- रबी की फसलों के लिए खेत की तैयारी करते हैं।
- धान की कटाई होती है। आलू की अगेती फसल की बोनी करते हैं। अमरूद वृक्षों में सिंचाई करते हैं। गन्ने की खड़ी फसल में सिंचाई करते हैं।
- चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, कुसुम, सरसों की बोनी करते हैं।
- रबी साग-सब्जियों गोभी, टमाटर, बैंगन, मिर्च, पत्तागोभी, गांठ गोभी की रोपणी डालते हैं।

नवम्बर

- सोयाबीन, तिल की कटाई करते हैं और उस खेत को रबी फसल के लिए तैयार करते हैं।
- धान की कटाई करते हैं और खेत को अगली फसल बोने के लिए तैयार करते हैं।
- गेहूं की बोनी करते हैं। खेत में नमी न हो तो बोनी के बाद सिंचाई करते हैं।
- गेहूं जो असिंचित है, उसमें से खरपतवार निकालते हैं।
- चना, मटर, सरसों की बोनी करते हैं।
- कपास की चुनाई नियमित समय में करते हैं।
- मूंगफली की खुदाई करते हैं। ज्वार के भुट्टे तोड़े जाते हैं।
- गन्ने की फसल अगर तैयार हो गई हो तो उसे काट लेते हैं।
- नींबू प्रजाति के पेड़ों की सिंचाई बंद कर देते हैं।
- पके हुए अमरूदों की तुड़ाई करते हैं।
- केले की फसल में खाद देकर फल से लदे हुए वृक्षों को टेक लगाकर सहारा देते हैं।
- पके हुए पपीते तोड़ते हैं। आलू की फसल में मिट्टी चढ़ाते हैं।
- बैंगन, मिर्च, टमाटर आदि की तुड़ाई करते हैं।
- अरहर, जो जल्दी पकने वाली है, उसे काटकर खेत की तैयारी करते हैं।

दिसम्बर

- धान की कटाई करते हैं। सुखाकर कोठियों में भरते हैं।
- गन्ने की फसल लगाने के लिए खेत जोतकर तैयार करते हैं। गुड़ बनाते हैं।
- सिंचित गेहूं में 20-22 दिनों के अंतर से सिंचाई करते हैं।
- खाली खेतों में जुताई, गुड़ाई, मेड़ बनाने एवं जमीन को सुधारते हैं।
- अमरूद, पपीते, आंवले और नींबू की तुड़ाई करते हैं।
- आलू के पौधों के इर्दगिर्द निराई-गुड़ाई कर पेड़ के चारों तरफ मिट्टी चढ़ाते हैं।
- टमाटर के पौधों को लकड़ी का सहारा देते हैं। ●

मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व, कमी के लक्षण और उपचार

अन्य पोषक तत्वों की भांति सूक्ष्म पोषक तत्व फसल एवं उससे प्राप्त होने वाली उपज पर प्रभाव डालते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता फसल को बहुत कम मात्रा में होती है परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इसकी आवश्यकता पौधों को नहीं है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने पर फसल की उपज, उत्पादन और उसकी गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त इनकी कमी होने पर भरपूर मात्रा में नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश उर्वरकों के प्रयोग करने पर भी अच्छी उपज प्राप्त नहीं की जा सकती है। मृदा परीक्षण के आधार पर देश की मृदाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का प्रतिशत इस प्रकार से हैं- जस्ता 46%, बोरान 33%, लोहा 12%, मैगनीज 4%, कॉपर 3% एवं मोलेब्डेनम। इनकी कमी विशेषतया अम्लीय मृदाओं में होने वाली दलहनी फसलों में देखी गई है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने पर पौधों में कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं जिनकी जानकारी कृषक बंधुओं को होना अति आवश्यक है-

1. जस्ता - मृदा में क्षारीयता, मृदा में चूना पत्थर की अधिकता, जलभराव से ग्रसित मृदा और जैव पदार्थों की कमी होना।

2. लोहा - मृदा क्षारीयता, चूना पत्थर की उपस्थिति होना और मृदा में जैव पदार्थों का कम होना।

3. कॉपर - मृदा में क्षारीयता और मृदा में जैव पदार्थ का कम होना।

4. मैगनीज - मृदा में चूना पत्थर की भरपूर मात्रा, बलुई मृदा में निक्षालन होना और जैविक मृदा में जीवाश्म कम होना।

5. बोरान - मृदा में अम्लीयता, मृदा में चूना पत्थर की अधिक मात्रा, बलुई मृदा में निक्षालन होना तथा जैविक पदार्थों का कम होना।

6. मोलेब्डेनम - मृदा में अम्लीयता, निक्षालित बलुई मृदा तथा निम्न जैवांश वाली मृदा।

जस्ता

कमी के लक्षण

धान - धान की नर्सरी में जस्ते की कमी के लक्षण पौधों की पत्तियों पर छोटे-छोटे कत्थई रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। रोपाई के 10 से 15 दिन के बाद जस्ते की कमी आने पर पौधों की तीसरी पत्ती का रंग हल्का पीला दिखाई देने लगता है

गेहूं - जस्ता की कमी होने पर पौधों की पत्तियों पर पीली धारियां बनती हैं।

चना - बुवाई के 3-4 सप्ताह के पश्चात पत्तियों का रंग लाल-भूरा दिखाई देता है।

टमाटर - पत्तियों का आकार छोटा होता है और शिरा के बीच का भाग हल्का या पीला हो जाता है।

उपचार : जस्ते की कमी को दूर करने के लिए जिंक सल्फेट (21% जस्ता) 25 किलोग्राम बलुई मिट्टी में, 50 किलोग्राम चिकनी मिट्टी के लिए प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए।

लोहा

कमी के लक्षण

धान - धान की नर्सरी में लोहे की कमी के लक्षण ऊपरी पत्तियों के पीला पड़ने या सफेद होने पर प्रकट होते हैं। उर्वरक के छिड़काव से यह पीलापन दूर नहीं होता है।

सोयाबीन - लोहे की कमी से नई पत्तियों में शिराओं के बीच का हिस्सा पीला पड़ता है जबकि शिराओं के किनारे का भाग हरा बना रहता है तथा अधिक कमी होने पर नई पत्तियां सफेद पड़ जाती हैं।

सेब - पौधों की नई पत्तियों में नसों के बीच का भाग पीला पड़ना और नसों का हरा बना रहना।

गन्ना - गन्ने की पेड़ी में लोहे की कमी के लक्षण प्राय: आते हैं जिससे नई पत्तियों का रंग सफेद या पीलापन लिए होता है।

उपचार : लोहे की कमी के लक्षण धान की नर्सरी, सोयाबीन की फसल और गन्ने की पेड़ी में आ सकते हैं। इसके उपचार के लिए 10 ग्राम फेरस सल्फेट प्रति लीटर मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए।

तांबा

कमी के लक्षण

धान - धान की फसल में नई पत्तियों का कुम्हलाना।

गेहूं - गेहूं के पौधों पर नई पत्तियों का कुम्हला कर स्प्रिंग जैसा मुड़ जाना, बालियों में दाना न बनना।

फलदार वृक्ष - पेड़ों के तने की छाल फटना, गोंद का जमा होना, नींबू वर्गीय फसलों में मध्य में गोंद का जमा होना तथा पेड़ों की नई शाखाओं का टूटना।

अमरूद - फलों पर भूरे कत्थई धब्बे पड़ जाते हैं।

सेब - नई पत्तियों के शीर्ष का मृत होना, पत्तियों के किनारे जलना और ऊपर की ओर मुड़ना।

उपचार : तांबे की कमी को दूर करने हेतु मृदा परीक्षण के आधार पर 4-5 किलोग्राम कॉपर सल्फेट, (25% कॉपर) प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जा सकता है। खड़ी फसल में कॉपर की कमी का निदान 2.5 ग्राम कॉपर सल्फेट और 1.25 ग्राम चूना प्रति लीटर के मिश्रण का का छिड़काव करके भी दूर किया जा सकता है।

मैंगनीशियम

कमी के लक्षण

गेहूं - पौधों की पुरानी पत्तियों पर पहले छोटे धूसर सफेद धब्बे पड़ते हैं और बाद में ये धब्बे आपस में जुड़ जाते हैं और धारी का आकार ले लेते हैं।

गन्ना - गन्ने के पौधों की पत्तियों मे शिराओं के बीच पीलापन दिखाई देता है।

सेब - सेब के पौधों की पुरानी पत्तियों में शिराओं के बीच का भाग पीला पड़ना और पीलेपन का किनारे से मुख्य शिरा की ओर बढ़ना।

उपचार : मैगनीज की कमी के लक्षण बलुई भूमि में उगाई जाने वाली गेहूं या मक्का की फसल में देख सकते हैं। इसके उपचार के लिए 30 किलो मैगनीज सल्फेट प्रति हेक्टेयर का प्रयोग बुवाई से पूर्व मिट्टी में करें। खड़ी फसल में लक्षण दिखाई देने पर 5 ग्राम मैगनीज सल्फेट और 2.30 ग्राम चूना प्रति लीटर के मिश्रित घोल का छिड़काव करना चाहिए।

बोरान

कमी के लक्षण

बोरॉन की कमी के लक्षण अधिकतर सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, फूलगोभी, चुकंदर, कटहल, आम, नींबू, लीची, अंगूर और सेब आदि में दिखाई देते हैं।

धान - धान के पौधे की नई पत्तियों पर सफेद लंबे-लंबे धब्बे दिखाई देते हैं।

मक्का - मक्के की पौधों में नई पत्तियों पर सफेद लंबे धब्बे एक सीध में बनते हैं जो बाद में जुड़कर लंबी धारी बना लेते हैं तथा भुट्टे में दाने नहीं बनते हैं।

गन्ना - नई पत्तियों में शिराओं के बीच अर्धपारदर्शी धब्बे बनते हैं और नई पत्तियां सूखने लगती हैं।

आलू - पौधे के शीर्ष की बढ़वार मारी जाती है, पौधा झाड़ी की तरह हो जाता है, पत्तियां मोटी और ऊपर की ओर मुड़ी हुई हो जाती हैं, आलू कंद फटने लगते हैं और आकार छोटा हो जाता है।

बरसीम - पौधा छोटा बना रहता है, नई पत्तियों पर किनारे का भाग पीला लाल पड़ जाता है, फूल नहीं आता है, आसानी से झड़ जाता है।

फूलगोभी - फूल छोटा और देर से बनता है, तने के मध्य का भाग खोखला और भूरा पड़ जाता है।

लीची - पत्तियां छोटी रह जाती हैं, कच्चे फल गिरते हैं और फटते हैं तथा फलों की मिठास घट जाती है।

अमरूद - अमरूद के कच्चे फल लंबाई में फट जाते हैं।

सेब - कच्चे फल गिरते हैं और फलों के अंदर का भाग भूरा पड़ जाता है।

उपचार : बोरान की कमी यदि मृदा में हो तो धान की फसल लगाने से पहले 10 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। यदि खड़ी फसल में बोरान की कमी के लक्षण दिखे तो 2 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर घोल का छिड़काव करना चाहिए। बोरेक्स को पहले गुनगुने पानी में घोलना चाहिए, आलू के बीजों को 30 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर में आधा घंटा भिगोने के बाद छाया में सुखाकर लगाना चाहिए।

मोलिब्डेनम

कमी के लक्षण

फूलगोभी - पत्तियों के आधार के पास पीलापन दिखाई देता है और धीरे-धीरे मध्य क्षेत्र के दोनों ओर का भाग मृत हो जाता है और केवल पत्ती के शीर्ष पर ही हरा भाग रहता है।

सोयाबीन - पत्तियों में शिराओं के बीच पीलापन आता है, जड़ों में ग्रंथियां अनेक व छोटी बनती हैं तथा उनका रंग हल्का पीलापन लिए होता है।

दलहनी फसलें - इनमें जड़ों में प्रभावी ग्रंथियां नहीं बनतीं और बढ़वार समुचित नहीं होती है।

उपचार : मोलिब्डेनम की कमी यदि मृदा में हो और पौधों पर इसके लक्षण दिखाई दें तो उसकी कमी को दूर करने के लिए खड़ी फसल में अमोनियम मोलिब्डेनम 2 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करना चाहिए।

-डॉ. आनन्द पाठक, डॉ. अखिल गुप्ता एवं अपूर्व तिवारी
गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड

अधिकार-विहीन गिरवी राज्य उत्तराखंड!

सुरेश नौटियाल

इस वर्ष नौ नवंबर को उत्तराखंड राज्य बने सत्रह वर्ष पूरे हो गये हैं। राजनीति के हिसाब से इस छोटी-सी अवधि और जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के हिसाब से इस बड़ी अवधि का लेखा-जोखा आम जनता अपने हिसाब से कर तो रही है पर गणित का ज्ञान कम होने के परिणामस्वरूप वह एक बार फिर गच्चा खाने से बच नहीं सकती।

पत्रकार होने के साथ-साथ सामाजिक, राजनीतिक, पारिस्थितिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर सोचते हुए हमें कतई और कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि अपना उत्तराखंड राज्य कहीं बेहतरी की ओर बढ़ा है। जो विकास दिखाया जाता है या वर्णित किया जाता है, वह कास्मेटिक है। ऊपर की परत उतार दें तो नीचे सब कुछ वैसा ही है जैसा सत्रह वर्ष पहले या उत्तराखंड राज्य बनने से पहले था। अब तो यह बहस भी बेमानी हो गयी है कि राज्य की अंतरिम राजधानी में अंतरिम सरकार का अंतरिम मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को क्यों बनाया गया था जिसकी भूमिका उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अंतरिम तक नहीं थी। और क्यों पहली निर्वाचित सरकार की बागडोर ऐसे व्यक्ति को सौंपी गयी थी जो कहता था कि उत्तराखंड राज्य उसकी लाश पर ही बनेगा। इन सवालों की तरह अनेक सवाल आज अपनी गरिमा, अपनी आभा और अपनी तपिश खो चुके हैं, यद्यपि जिंदा समाजों में ऐसा अपेक्षित नहीं होता है।

आपको याद होगा कि वर्ष 2002 में उत्तराखंड में 70 सीटों पर पहला विधानसभा चुनाव हुआ और राज्य की जनता ने अवसादपूर्ण स्थिति में ऐसी पार्टी को सत्ता सौंप दी जिसने इस राज्य ही नहीं अपितु पूरे देश को आजादी के बाद से ही अवसाद में भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। वर्ष 2007 में जनता ने फिर एक और गलती की। नागनाथ का साथ छोड़कर सांपनाथ को पकड़ लिया और आज तक इन दलों की मोहमाया से मुक्त नहीं हो पाई है। स्वयं को बड़े और राष्ट्रीय मानने वाले राजनीतिक दलों की तो इसी बात में चांदी है कि जनता बड़े सवाल उछालने के बजाय चुपचाप उन्हीं में से एक को बारी-बारी से सत्ता सौंपती रहे। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर-फिर अपनों को ही देय! हां, अंधी जनता को कांग्रेस और भाजपा दल ही अपने लगते हैं और फिर-फिर वह रेवड़ी इन्हीं दो पार्टियों में बांट देती है। शेष के लिए अंगूठा!

राज्य बनने से पहले और इसके तुरंत बाद जो प्रश्न मुंहबाये खड़े थे वे आज भी जस के तस हैं। उनका समाधान दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहा है क्योंकि समाधान की दिशा में सत्तारूढ़ राजनीतिक नेतृत्व से लेकर निकम्मी नौकरशाही तक कोई भी कुछ व्यावहारिक और सार्थक करता दिखायी नहीं दे रहा है। बड़े राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के लिए राजनीति करना मोटा वाला व्यवसाय हो गया है और नौकरशाहों का एक बड़ा वर्ग पहले से ही खून चूसने में लगा है। क्या राज्य में आज तक किसी सरकार ने पूर्व और वर्तमान नौकरशाहों की संपत्तियों-परिसंपत्तियों का सोशल ऑडिट करने की आवश्यकता समझी और क्या यह पता लगाने का प्रयास किया कि उनकी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता कैसे हाई-प्रोफाइल जीवन जीते हैं?

आम आदमी और हर गांव-देहात की वही हालत है जो राज्य बनने से पहले थी। वास्तव में समाज का एक बड़ा वर्ग तो यह सोचने लगा है कि राज्य न बनता तो बेहतर स्थिति होती। यह वर्ग घोर निराशा में ऐसा सोच रहा है और इसलिए भी कि उसके आसपास के माहौल में कोई बदलाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में रहते हुए जनता को शासन-प्रशासन की जिस उपेक्षा और उदासीनता से आये दिन साक्षात्कार होता था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। जितना दूर पहले लखनऊ था, उससे भी दूर और महंगा देहरादून हो गया है। पड़ोसी राज्यों के लोगों ने उत्तराखंड के संसाधनों पर कब्जे कर लिए हैं। कोई ऐसा बड़ा मार्ग नहीं रह गया है जिसके आस-पास की जमीनें दिल्ली-मुजफ्फरनगर से लेकर लुधियाना और न जाने कहां-कहां तक के लोगों ने खरीद ली हैं।

सच में उत्तराखंड राज्य एक गिरवी राज्य है। जमीनों पर बाहरी लोगों के साथ-साथ अपने-आप को साधु, संत और स्वामी-बाबा कहने वालों के अंधाधुंध कब्जे, सरकार पर विश्व बैंक से लेकर न जाने किस-किस का कर्ज, अपना पानी-अपने बांधों पर राज्य का अधिकार नहीं और न जाने क्या-क्या? कोई जब कपूत साबित हो जाता है तो मां-बाप तक कहते हैं कि ऐसी औलाद से अच्छे तो बेऔलाद ही होते। यही भाव रह-रहकर खासकर उत्तराखंड की पर्वतीय जनता के मन में आता है।

यदि परिवर्तन दिखता है तो वह विधायकों की फौज, मंत्रियों और उनके कारिंदों की टोलियों और बड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उन पर आश्रित ठेकेदारों में दिखायी देता है। और बदलाव यह है कि पहले मारुति-800 गाड़ी में घूमने वाले लोग अब ऐसी बड़ी-बड़ी और लंबी-लंबी गाड़ियों के मालिक बन गए हैं कि आपको उनके नाम भी ज्ञात न हों। शराब माफिया पर पोषित जो लोग शोर मचाती मोटर साइकिलों में सवार होकर अपना रौब-दाब जमाते थे वे अश्लील सी दिखने वाली मोटी-मोटी बड़ी गाड़ियों के भीतर रंगरेलियां मनाते हुए पकड़े जाते हैं।

उत्तराखंड में कार्यरत नौकरशाह भी पहले की अपेक्षा ज्यादा साधन संपन्न हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जिन्हें कोई नहीं पूछता था, वे भी उत्तराखंड में आज रसूख और रौब-दाब रखते

हैं। उनकी मैडमों ने तो जनता के हित के नाम पर तरह-तरह की संस्थाएं खोल ली हैं और अपनी सुविधाओं के लिए इन्हें कामधेनु की भांति उपयोग करती हैं। आश्चर्य होता है कि हजारों संस्थाओं की उपस्थिति के बाद भी राज्य की स्थिति जस की तस क्यों बनी हुयी है। मंत्रियों, विधायकों और उनके निकट संबंधियों ने नामी-बेनामी तरीकों से कॉलेज और संस्थान खोल लिए हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों की रोजी-रोटी का पक्का बंदोबस्त कर लिया है। अनेक सांसदों का हाल भी यही है।

भ्रष्टाचार और उदासीन नौकरशाही की समस्या कितनी कोणीय है, किसी को मालूम नहीं। तिब्बत के चप्पे-चप्पे की खोज कर पहली बार वहां का नक्शा बनाने वाले पंडित नैन सिंह रावत जैसे अन्वेषक यदि आज जीवित होते तो वह भी इन कोणों का सही आकलन नहीं कर पाते। भ्रष्टाचार और नौकरशाही उन दृष्टिहीन व्यक्तियों की तरह हैं जो हाथी को नहीं देख पाने की स्थिति में स्पर्श द्वारा अपने-अपने ढंग से हाथी को परिभाषित करते हैं। हाथी के पूरे आयामों का वर्णन किसी के पास नहीं है।

इस तरह की विशुद्ध व्यापारिक गहमागहमी में आम आदमी के हालात कतई नहीं बदले हैं। खास तौर पर उत्तराखंड के पर्वतीय लोगों को आज भी अपनी रोजी-रोटी के जुगाड़ के लिए उतना ही संघर्ष करना पड़ता है जितना कि उत्तर प्रदेश में रहते हुए या देश की आजादी से पहले करना पड़ता था। हां, सड़कें जरूर गांवों के ज्यादा नजदीक पहुंची हैं लेकिन इन सड़कों के रास्ते तमाम तरह की विकृतियां और भ्रष्टाचार के औजार भी गांवों तक पहुंचे हैं। भ्रष्टाचार के इन शस्त्रों ने समाज की रचनात्मक सक्रियता को ध्वस्त करने के प्रयास ज्यादा किये हैं। यही कारण है कि गांवों में विकास भले ही न पहुंचा हो लेकिन विकृतियां अवश्य पहुंच गयी हैं। इन विकृतियों ने बड़ी संख्या में लोगों को इतना अक्षम बना दिया है कि उन्हें अपने अधिकारों और अपेक्षाओं की चिंता ही नहीं है।

लगता है कि सरकार को ऐसी ही स्थिति चाहिए ताकि जनता चुपचाप अपनी पीड़ा सहती रहे और चुप्पी साधे रहे। नेतागण ऐसी स्थिति में अपने वाक् चातुर्य और प्रेस के एक वर्ग के साथ अच्छे संबंधों के चलते झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। इस वाहवाही का फायदा वे अपने आप को सत्ता में बनाये और बचाये रखने में कर रहे हैं। और जब तक कुछ पता चलता है, तब तक अगले चुनाव आ जाते हैं। और जुगाड़ यही रहता है कि देहरादून में कुछ न मिले तो दिल्ली में ही सही। अर्थात, जनता की सेवा नहीं, अपने-अपने स्वार्थों की पूर्ति का धंधा पूरे जोरों पर है। पूरी निर्ममता के साथ यह काम सत्रह वर्ष से चल रहा है। कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं रह गया है। ये पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रूप कुछ भिन्न है पर आकार-प्रकार एक जैसा। यह बात क्या इस बात से साबित नहीं हो जाती कि इन पार्टियों के अनेक नेता दोनों पार्टियों में मंत्रित्व का सुख भोग चुके हैं या भोग रहे हैं!

जनता को जागरूक करने का काम करने वाले क्षेत्रीय दल भी थकते दिखाई दे रहे हैं। जनता भी संघर्ष की राह पर चलने से बेहतर मनरेगा की राह को अधिक लाभकारी समझ रही है। संघर्ष के बारे में उसकी समझ कुंद होती जा रही है और धार भी पैनी नहीं रह गयी है।

आज इस बात की जरूरत अधिक महसूस की जा रही है कि जनता जागरूक हो और घिसी-पिटी पार्टियों के अलावा विकल्प की राजनीति के बारे में सोचे, लेकिन संभवतः उसका धैर्य डोल गया है। जनता जान चुकी है कि इन पार्टियों और उसका चोली-दामन का साथ है। वह जानती है कि जिन पार्टियों ने उनकी तस्वीर और तकदीर पिछले इतने वर्षों में नहीं बदली उनसे अब और उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। छोटी और क्षेत्रीय दलों की आवाज नक्कारखाने में तूती की आवाज भी नहीं बन पा रही है। उक्रांद और उपपा जैसी पार्टियां समय-समय पर कुछ-कुछ करने का प्रयास करती हैं पर बड़ी पार्टियों के प्रताप और आभामंडल में उनके प्रयास जनता को न तो दिखाई देते हैं और न ही मीडिया उन्हें जनता तक ले जाने के प्रयास करता है।

राज्य बनने के समय जो मुद्दे ज्वलंत थे उनसे आज भी आग निकल रही है। उत्तर प्रदेश के साथ परिसंपत्तियों के बटवारे के मामले में उत्तराखंड मुंह की खा चुका है। जनता ने सोचा था कि योगीजी मूल रूप से उत्तराखंड के हैं, लिहाजा परिसंपत्तियों के बटवारे में उत्तराखंड के हितों का ध्यान भी रखेंगे पर ऐसा हुआ नहीं। उत्तराखंड के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग इत्यादि की परिसंपत्तियों के बोर्ड उत्तराखंडी जनता को हरिद्वार जैसी जगहों पर मुंह चिढ़ाते दिखाई देंगे पर यह सब देखकर चुभन कोई महसूस नहीं कर रहा। सत्ता पक्ष तो बेशर्मी से अपनी असफलता को सफलता के पैक में डालकर बेचने की कोशिश में है ही।

गैरसैंण में राजधानी का मुद्दा जस का तस है। भराड़ीसैंण में कुछ भवन खड़े कर यह भ्रम पैदा कर दिया गया है कि आज नहीं तो कल राज्य की राजधानी गैरसैंण क्षेत्र अवश्य पहुंचेगी। सरकारों को विकल्पधारी कर्मचारियों से ज्यादा चिंता दायित्वधारियों को लेकर है। राज्य के जल-जंगल-जमीन पर निजी कंपनियों के कब्जे जारी हैं। वीरपुर-लच्छी से लेकर नानीसार और पोखड़ा तक जिस बेशर्मी से जनता के अधिकार वाले प्राकृतिक संसाधन नौकरशाही के साथ सांठ-गांठ कर पूंजीपतियों को लुटाये गए, उसकी अनेक मिसालें हैं।

पनबिजली परियोजनाओं के लिए आवश्यक जन सुनवाई तक नहीं की जा रही है। इसका नवीनतम उदाहरण पंचेश्वर पनबिजली परियोजना का है। इसे लेकर जहां भी तथाकथित जनसुनवाई की गई, जनता और जागरूक लोगों को बोलने नहीं दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार राजीव लोचन साह से लेकर उक्रांद के वरिष्ठ काशी सिंह ऐरी तक के साथ दुर्व्यवहार किया गया। एक पत्रकार साथी ने बताया कि भक्तों की एक पार्टी ने ऊपर से आदेश दिए थे कि किसी भी स्थिति में जनसुनवाई पंचेश्वर बांध के पक्ष में करवाई जानी चाहिए। और ऐसा किया भी गया। और पंचेश्वर ही क्यों, राज्य में अनेक पनबिजली परियोजनाओं का विरोध समय-समय पर होता रहा और तब-तब सरकार दमन करती रही और प्रभावित जनता सहती रही। प्रभावितों के अलावा राज्य के अन्य लोगों को पोई पीड़ा नहीं।

पर क्या हार मान ली जाए? आवश्यकता तो इस बात की है कि उत्तराखंड की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को बदलने के लिए कमर कस ली जाए। निराश हो जाने से काम चलने वाला है नहीं। आज सत्रह साल का घुप्प अंधेरा है तो क्या, कल सुनहरी सुबह की पौ तो फटेगी ही! ●

नए भूमि बन्दोबस्त से ही बन सकती है कृषि विकास की सही नीति

इन्द्र चन्द रजवार

'मजबूरी का नाम महात्मा गांधी' यानी हम महात्मा गांधी के आदर्शों की बात या उन पर अमल तभी करते हैं जब हम मजबूर होते हैं या हमारे पास उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। यह बात गांधी जी के सत्य, अहिंसा, सार्वजनिक जीवन में सुचिता, ग्राम स्वराज आदि के समान ही देश की अर्थव्यवस्था में कृषि को विशेष महत्व या प्राथमिकता दिए जाने की बात पर भी लागू होती है। कहने को हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। देश की सर्वाधिक आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही कृषि की ऐसी उपेक्षा हुई है कि आज भी देश के किसान मौका मिलते ही अपनी संतान को कृषि कार्यों से मुक्त करना चाहते हैं। इसी का परिणाम है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जहां देश की लगभग दो-तिहाई आबादी कृषि पर निर्भर थी और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 50 प्रतिशत से अधिक था वहीं आज कृषि पर निर्भर आबादी 49 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान मात्र 17 प्रतिशत रह गया है।

कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो कृषि पर निर्भर आबादी और घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में कमी यों तो देश के सभी राज्यों में आई है। लेकिन 17 वर्ष पूर्व गठित उत्तराखंड राज्य की स्थिति इस मामले में अत्यंत दयनीय है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 52,493 वर्ग किलोमीटर (जिसमें 88 प्रतिशत पर्वतीय और 12 प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है) क्षेत्रफल वाले उत्तराखंड राज्य की करीब 13.52 प्रतिशत भूमि में कृषि होती है। राज्य की लगभग 75 प्रतिशत आबादी की आजीविका का स्रोत कृषि है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 22.4 प्रतिशत है (एक नजर में उत्तराखंड, 2013-14)। लेकिन ये आंकड़े राज्य की कृषि व्यवस्था की वास्तविकता को उजागर नहीं करते। जानकारों का कहना तो यह भी है कि राज्य सरकार आज जो आंकड़े प्रस्तुत कर रही है वे न केवल राज्य निर्माण से पहले के हैं बल्कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद हुए भूमि प्रबंध (1959-64) के आकंड़ों पर आधारित हैं। हो सकता है राज्य के 12 प्रतिशत भूभाग वाले मैदानी क्षेत्रों में ये आंकड़े कम या ज्यादा कृषि की दशा को स्पष्ट करते हों लेकिन राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में इनका कृषि की वास्तविक स्थिति से दूर का भी संबंध नहीं है।

हिल एरिया पीपुल्स फाउण्डेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों के 70 ग्राम पंचायतों में प्रति 100 परिवारों में 8 से 12 परिवार ही ऐसे हैं जो कृषि पर निर्भर हैं। उन्हें भी जीवनयापन की अन्य जरूरतों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं में मजदूरी करनी पड़ती है और उनकी खाद्यान्न आपूर्ति सरकार द्वारा रियायती दरों पर उपलब्ध राशन से होती है। अन्यथा सभी परिवारों का कम से कम एक सदस्य सरकारी या गैर-सरकारी नौकरी करता है। जैसे ही ऐसे कृषि पर निर्भर परिवारों का एक भी सदस्य सरकारी या गैर सरकारी नौकरी पा लेता है तो कृषि पर उसकी निर्भरता आधी भी नहीं रह जाती है।

कृषि मामलों के विशेषज्ञ शुरू से ही उत्तराखंड की जैव-विविधता को कृषि का एक समृद्ध स्रोत होने की बात करते आए हैं, जिसमें परंपरागत खाद्यान्नों के अतिरिक्त बेमौसमी सब्जियों, फलों और कृषि संबंधी अन्य क्रियाकलापों को सुगमता से किया जा सकता है। कुछ स्थानों पर इस तरह के प्रयोग भी हुए हैं, खासकर तराई और पहाड़ी क्षेत्रों में शहरों के आसपास कुछ लोगों ने फूल एवं जड़ी-बूटी का उत्पादन आरंभ किया है, लेकिन दूरदराज के क्षेत्रों में जनसामान्य की

कृषि के प्रति अरुचि के कारण कृषि योग्य जमीन बंजर होती गई है और क्षेत्र से पलायन तेज हुआ है।

उत्तराखंड में कृषि के प्रति जन सामान्य की अरुचि के यों तो कई कारण रहे हैं, मसलन कृषि का उद्योग, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों की तुलना में कम फायदेमंद होना, कृषि तकनीक का अत्यंत पुराना ढर्रा और श्रमसाध्य होना, जंगली जानवरों का प्रकोप, कृषिक्षेत्र में हो रहे प्रयोगों पर अमल न हो पाना, अत्यधिक छोटी और बिखरी हुई जोत होना आदि। सामाजिक कार्यकर्ताओं और अध्ययनकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग राज्य में कृषिक्षेत्र की इन कमियों को दूर करने के लिए चकबंदी को आवश्यक मानता है। राज्य सरकार ने भी स्वैच्छिक चकबंदी का विकल्प बतौर एक प्रोत्साहन किसानों के समक्ष रखा है। हो सकता है कुछ क्षेत्रों में जहां कि कृषि अपेक्षाकृत फायदेमंद है और लोगों के पास कृषि एक बेहतर विकल्प है, इस तरह की स्वैच्छिक चकबंदी कारगर हो लेकिन व्यवहार में समग्र कृषि विकास के लिए भूमि प्रबंध का होना आवश्यक है, चकबंदी स्वाभाविक रूप में उसका एक अभिन्न हिस्सा होगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न तो चकबंदी की मांग करने वाले संगठन और न ही सरकार भूमि प्रबंध को लेकर गंभीर है।

उत्तराखंड की वर्तमान भूमि व्यवस्था निश्चित रूप से अंग्रेजों द्वारा लागू की गई व्यवस्था ही है। 1815 में अंग्रेजों के इस भूभाग पर कब्जा करने से पहले यह क्षेत्र खाद्यान्न ही नहीं जीवन की लगभग सभी जरूरतों के मामले में आत्मनिर्भर था। कृषि के अतिरिक्त पशुपालन एवं ग्रामीण शिल्प और देशी-विदेशी व्यापार लोगों की आजीविका के माध्यम थे। क्षेत्र का व्यापार भी तिब्बत से लेकर तराई तक फैला हुआ था। वनों पर स्थानीय जनता का अधिकार था। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए सर्वप्रथम भूमि प्रबंध में बदलाव किए। उन्होंने पहला भूमि प्रबंध 1815-16 में किया। तत्पश्चात 1817, 1820 और 1823 में भूमि प्रबंध किया। उसके बाद भी 1947 तक 132 साल के शासनकाल में अंग्रेजों ने 11 बार भूमि प्रबंध किया यानी प्रत्येक 12 साल में एक नई भूमि व्यवस्था। लेकिन 1823 में किया गया बन्दोबस्त बाद के सभी बन्दोबस्तों का आधार बना रहा। इसमें पहली बार भूमि की नापजोख की गई और गांवों की सीमा का निर्धारण किया गया। बिक्रमी संवत 1880 होने के कारण उसे अस्सी साला प्रबंध के नाम से जाना जाता है। आज भी जब-जब दो गांवों के बीच सीमा और गौचर आदि को लेकर विवाद पैदा जाता है तो उसी अस्सी साला भूमि प्रबंध के आधार पर हल किया जाता है।

इस क्रम में अंग्रेजों ने एक-एक कर ग्राम समाज के अधीन वन क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित कर उसे अपने नियंत्रण में लिया, यहां तक कि गोचर पर भी प्रतिबंध लगा दिया।

अंग्रेजों ने एक-एक कर ग्राम समाज के अधीन वन क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित कर उसे अपने नियंत्रण में लिया, यहां तक कि गोचर पर भी प्रतिबंध लगा दिया। स्थानीय जनता से गोचर का उपयोग करने के लिए प्रति पशु के हिसाब से लगान वसूला जाता था, वहीं दस्तकार एवं शिल्पकार समुदायों, जो वन उपजों पर आधारित रोजमर्रा की वस्तुओं एवं कृषि उपकरणों का निर्माण करते थे, को भूमि अधिकार से वंचित कर दिया।

स्थानीय जनता से गोचर का उपयोग करने के लिए प्रति पशु के हिसाब से लगान वसूला जाता था, वहीं दस्तकार एवं शिल्पकार समुदायों, जो वन उपजों पर आधारित रोजमर्रा की वस्तुओं एवं कृषि उपकरणों का निर्माण करते थे, को भूमि अधिकार से वंचित कर दिया। साथ ही भूमि व्यवस्था जो पहले ग्राम समाज के अधीन थी उसकी जिम्मेदारी अधीन समाज के प्रभुवर्ग को देकर जमींदारी और थोकदारी प्रथा को जन्म दिया। अंग्रेजों ने आखिरी भूमि प्रबंध 1902 में किया। उसके बाद स्वतंत्रता आन्दोलन तेज होने के कारण भूमि व्यवस्था में आगे वे कोई बदलाव नहीं कर पाए।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1956 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम' बनाकर नया भूमि बन्दोबस्त किया गया। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र की भूमि व्यवस्था शेष उत्तर प्रदेश से अलग होने के कारण 1859 में 'कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम' (कूजा एक्ट) बनाया गया। इस अधिनियम के तहत 1959-64 के बीच पर्वतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली और अब तक की आखिरी बार भूमि व्यवस्था कायम हुई।

हालांकि इस बंदोबस्त में पक्के खायकारों/सिरतानों को भूमि अधिकार दिए गए और मालगुजार/थोकदार/पधान जैसी व्यवस्थाओं को खत्म कर भूमि व्यवस्था की जिम्मेदारी राजस्व विभाग के अमीन को दी गई थी। लेकिन इससे भूमि संबंधों में कोई गुणात्मक बदलाव नहीं आया। इस दौर में भूमि बंदोबस्त पर यहां एक लोकगीत 'दिन में हैं छा खानापूरी, रात रबड़ घुस' (अर्थात अमीन दिन में तो किसानों के सामने जमीन की नपाई की खानापूरी करता था और रात को मालगुजार/थोकदार के घर जाकर उसे रबर से मिटा देता था) जन-जन में काफी लोकप्रिय हुआ। जमीन के बड़े हिस्से पर अब भी इन पुराने मालगुजार/थोकदारों का ही कब्जा बना रहा। इस बंदोबस्त की कमियों के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में गोल खाता व्यवस्था अस्तित्व में आई, जो आज भी कायम है। इसमें हर गांव में एक पूरी बिरादरी या खानदान का संयुक्त भूमि खाता है जिसे गोल खाता के नाम से जाना जाता है। इस गोल खाते में प्रत्येक खातेदार बंटवारे में मिली अपने हिस्से की भूमि का स्वतंत्र खातेदार न होकर गोल खाते का एक हिस्सेदार दर्ज रहता है। इसके साथ ही खेती के अलावा किसानों व ग्रामीणों द्वारा चारे, चारागाह, पनघट, ईंधन व लघु वन उत्पाद के लिए इस्तेमाल की जा रही सारी जमीनों को राज्य सरकार के नाम दर्ज कर ग्रामीणों के अधिकार से बाहर कर दिया गया।

इसके बाद अगले भूमि बंदोबस्त के लिए 40 वर्ष की सीमा निर्धारित की गई। इसके अनुसार 2004 में नया भूमि बंदोबस्त होना निश्चित था। लेकिन उत्तराखंड अलग राज्य बन जाने के बाद भी इस दिशा में कोई पहल नहीं हो सकी। जाहिर है कि राज्य में

नया भूमि बंदोबस्त किये बिना न तो राज्य में भूमि की सही स्थिति का आकलन किया जा सकता है और न ही भूमि व कृषि को लेकर कोई सही नीति ही बनाई जा सकती है।

उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय के आंकडों पर नजर डालने से पता चलता है कि राज्य की कुल 8,31,225 हेक्टेयर कृषि भूमि 8,55,980 परिवारों के नाम दर्ज थी। इनमें 5 एकड़ से 10 एकड़, 10 एकड़ से 25 एकड़ और 25 एकड़ से ऊपर की तीनों श्रेणियों की जोतें जो 4,02,422 हेक्टेयर यानी लगभग आधी कृषि भूमि 1,08,863 परिवारों के नाम पर दर्ज थी। बाकी पांच एकड़ से कम जोत वाले 7,47,117 परिवारों के नाम मात्र 4,28,803 हेक्टेयर भूमि दर्ज थी। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य के लगभग 12 प्रतिशत किसान परिवारों के कब्जे में आधी कृषि भूमि है और बाकी 88 प्रतिशत कृषक आबादी भूमिहीन की श्रेणी में पहुंच चुकी है।

हैरानी की बात तो यह भी है कि पिछले 17 सालों में राज्य की सरकारें नया भूमि बन्दोबस्त लाने के बजाय विभिन्न प्रकार से खेतिहर जमीन को समेटने में लगी रही हैं। राज्य में कृषि भूमि के संकट को ध्यान में रखते हुए कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय कॉरपोरेट घरानों, बड़े पूंजीपतियों और बिल्डरों के हित में एक के बाद एक भू-अध्यादेश लाए गए लेकिन राज्य की 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी की भूमि पर निर्भरता को देखते हुए भी नया भूमि सुधार कानून और भूमि प्रबंध किसी भी सरकार के एजंडे में अभी तक नहीं रहा।

उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जिसका अपना कोई एक भूमि सुधार कानून नहीं है। अभी भी राज्य में उत्तर प्रदेश सरकार का 'कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून' (कूजा एक्ट) लागू है। यही नहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कूजा एक्ट के तहत तत्कालीन नौ पर्वतीय जिलों में बेनाप/ बंजर/ परती/ चारागाह/ पनघट/पोखर/ तालाब/ नदी आदि जमीनों के प्रबंधन व वितरण का अधिकार पंचायतों को दिया था। यह अधिकार देश के अन्य राज्यों में भी पंचायतों को हासिल है। ये जमीनें पंचायतों के नाम दर्ज होती हैं और ग्राम पंचायतें 'भूमि प्रबंध कमेटी' के माध्यम से इस भूमि का प्रबंध व वितरण करती हैं। राज्य बनने के बाद सरकार ने कूजा एक्ट के इस प्रावधान को ही हटा दिया।

पिछले पचास वर्षों में जहां देश के अन्य राज्यों में कृषिक्षेत्र का विस्तार हुआ हैं। अधिकतर राज्यों में सरकारों ने कृषि पर जनता की निर्भरता को देखते हुए बेनाप, बंजर और परती भूमि को खेतिहर भूमि के रूप में विकसित कर उसे भूमिहीनों और जरूरतमंदों में वितरण किया है। लेकिन उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्कों, अभयारण्यों और वन संरक्षण के नाम पर कृषिक्षेत्र के विस्तार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डाकघर, क्रीड़ास्थल, उच्च व तकनीकी शिक्षा संस्थान, पंचायत भवन आदि के लिए किसानों की नाप भूमि निःशुल्क सरकार के खाते में स्थानांतरित करने की शर्तें लगा दी गईं। अर्थात सरकार को जहां भूमिहीनों, आवासहीनों और गरीब किसानों को जमीनें बांटनी थीं उसके ठीक उलट वह विकास के नाम पर गरीब किसानों से निःशुल्क जमीन लेकर उन्हें भूमिहीन बनाती गई। इस बीच सरकारें कॉरपोरेट घरानों, पूंजीपतियों एवं बिल्डरों के हित में एक के बाद एक भू-अध्यादेश तो लाती गई मगर राज्य की 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी की खुशहाली के लिए नया भूमि सुधार कानून बनाना उनके एजंडे में नहीं रहा।

अंग्रेजों के बाद स्वतंत्र भारत के शासकों ने जनता के वनाधिकार खत्म कर उसे परजीवी बना दिया था। उम्मीद थी कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद स्थानीय भौतिक संसाधनों पर जनता के अधिकारों की बहाली होगी, लेकिन उत्तराखंड राज्य की सरकारें कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के उलट ऊर्जा प्रदेश, पर्यटन प्रदेश और औद्योगिकीकरण आदि के नाम पर जाने-अनजाने स्थानीय जनता को उसकी जमीन से बेदखल करती आई हैं।

खेती, पशुपालन और ग्रामीण दस्तकारी पर लंबे समय तक आत्मनिर्भर रही उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मूलतः वनों पर आश्रित थी। पहले अंग्रेजों ने, बाद में स्वतंत्र भारत के शासकों ने जनता के वनाधिकार खत्म कर उसे परजीवी बना दिया था। उम्मीद थी कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद स्थानीय भौतिक संसाधनों पर जनता के अधिकारों की बहाली होगी लेकिन उत्तराखंड राज्य की सरकारें कृषि, पशुपालन एवं ग्रामीण दस्तकारी के लिए आधारभूत ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने, पूंजी निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के उलट ऊर्जा प्रदेश, पर्यटन प्रदेश और औद्योगिकीकरण आदि के नाम पर जाने-अनजाने स्थानीय जनता को उसकी जमीन से बेदखल करती आई हैं। राज्य में पिछड़े किस्म की कृषि पद्धति में किसी तरह के बदलाव न होने से खेती लगातार अलाभप्रद और अरुचिकर होती गई। यही कारण है कि ग्रामीण जनता बड़े पैमाने पर पलायन को मजबूर हुई है।

निश्चित ही पहाड़ की खेती-किसानी को बचाने और कृषि को लाभप्रद बनाने के लिए चकबंदी अनिवार्य शर्त है। यहां की छोटी व बिखरी जोतें व्यावसायिक खेती की राह में सबसे बड़ा रोड़ा हैं। मुख्यतः महिलाओं के श्रम पर आधारित पहाड़ की यह खेती महिलाओं के सिर पर अलाभप्रद बोझ है। लेकिन इसके साथ ही राज्य के बड़े भूमिधरों के कब्जे में पड़ी जमीन की सीलिंग और खेतिहर मजदूरों एवं गरीब किसानों, जो वास्तव में कृषि पर निर्भर हैं के हित में नया भूमि प्रबंध जरूरी है। जहां तक कृषिक्षेत्र के समग्र विकास की बात है इसके लिए कृषि क्षेत्र में हो रहे अनुसंधानों व अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ किसानों को देने, कृषिक्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने, किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने, भौतिक आपदाओं एवं जंगली जानवरों से कृषि को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए फसल बीमा योजना को सरल बनाने और कृषि के अभिन्न अंग रहे पशुपालन, दस्तकारी व फल प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे कदम उठाने होंगे। अन्यथा कृषि विकास के नाम पर बनने वाली नीतियों और योजनाओं के बावजूद कृषि के प्रति जनमानस की अरुचि बनी रहेगी। ●

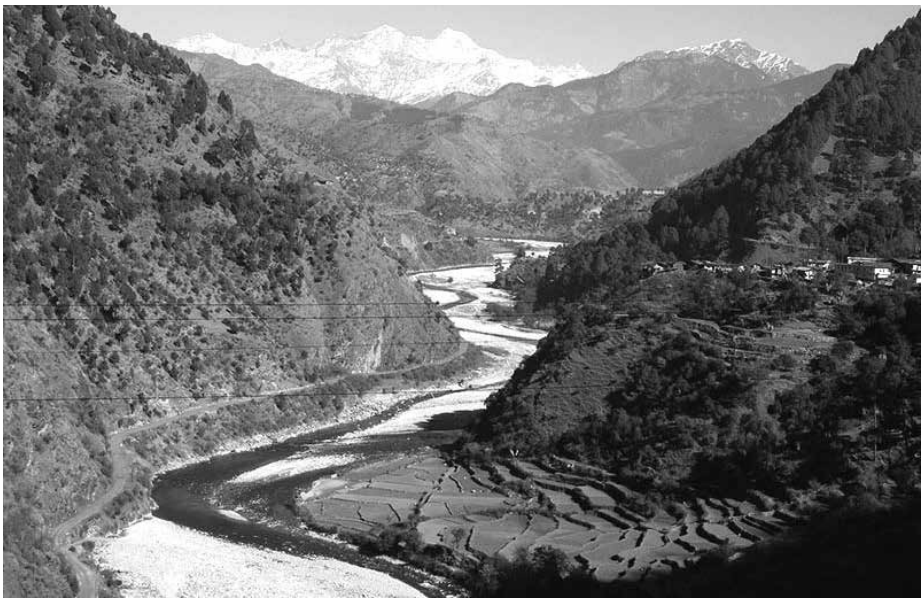

राह दिखा रही हैं यमुना और टौंस घाटियां

नीरज जोशी

उत्तराखंड की यमुना और टौंस घाटियों का शस्य वैभव किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकता है। ऐसे दौर में जब उत्तराखंड का अधिकांश पहाड़ी इलाका तमाम भू-जैवीय कारणों से ऊसर और बंजर होने के कगार पर है यमुना और टौंस घाटियों के किसान अपने अनुभव, मेहनत और सहभागिता से जैविक फसलों के उत्पादन की नई इबारत लिख रहे हैं। देहरादून से 90 किमी दूर चकराता होते हुए 80 किमी आगे त्यौंनी का उतार इस सर्द मौसम में काफी दुरूह है। करीब 30 किमी की सड़क इतनी कच्ची है कि हिचकोलों के साथ कभी-कभी भय की लकीरें भी माथे पर चस्पा हो जायें। लेकिन कुछ आगे उतरते सड़क के साथ चलती टौंस नदी का दूधिया जलप्रवाह ऐसा चौंधियाता है कि सारा डर काफूर हो जाता है। यह देखना सुखद और आश्चर्यजनक है कि हिमालय के ग्लेशियरों से निकलने वाली भागीरथी, यमुना, मन्दाकिनी, पिंडर और कई अन्य धाराओं से कहीं ज्यादा जलप्रवाह टौंस समेटे हुए है। जलराशि के मामले में अलकनंदा ही टौंस का मुकाबला करती दिखाई देती है। देहरादून की त्यौंनी तहसील और उसके लगभग 20 किमी आगे जौनसार भाबर के सबसे बड़े तीर्थ हनोल तक जिला देहरादून होना भी कम बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि उत्तराखण्ड की इस संपन्न टौंस घाटी को न तो देहरादून जिले के साथ होने में कोई दिक्कत है, न ही उन्हें चकराता से त्यौंनी तक उतरने वाली उस सड़क को लेकर कोई व्यग्रता है जो जगह-जगह उखड़ी हुई है।

बहरहाल हिमालय की नदियों की सेहत की सुध लेने की इस हनक में पता चला कि हनोल से आगे उत्तरकाशी जिले की मोरी तहसील और उसके बाद हरकी दून होते हुए हिमाचल के शिमला जिले के पृष्ठ प्रदेश को टौंस और पब्बर नदी का खूब हमसाया मिला है। इसलिए टौंस घाटी फसल और सब्जियों के उत्पादन से संपन्न बनी हुई है। कुछ उत्साही स्वयंसेवकों का श्रमदान इस घाटी के लिए इतना फलीभूत हुआ है कि दिल्ली की मदर डेरी तक इनका विपण न तंत्र विकसित हुआ है। टौंस और यमुना घाटी में अभी भी पानी प्रचुर मात्रा में है। विमल दूध-सी इन हिम सरिताओं के अलावा स्थानीय नदी-नाले और गधेरों में भी इतना पानी है कि अभी तक कहीं-कहीं घराट चल रहे हैं। उद्यमी काश्तकारों ने इन्हीं सदानीरा गधेरों से नहरें निकालकर बड़े-बडे फसलों से लहलहाते सेरे बनाये हैं। जौनसार भाबर के एक अध्यापक बताते हैं कि उत्तराखंड का यही इलाका है जहां से पलायन बहुत कम हुआ है। प्रगति के लिए विस्थापन हो सकता है लेकिन रोजी-रोटी के लिए इस क्षेत्र से कोई पलायन नहीं हो रहा है। उत्तरकाशी की मोरी तहसील यानी बाजार से पुरोला की दूरी शायद 65 किमी होगी। इस दूरी को प्रकाश रहते जहां तक हम देख पाये छोटी-छोटी नदी और जलस्रोतों ने विपुल वैभव दिया है। छोटे-छोटे काश्तकार मटर और टमाटर बेचकर मनमाफिक आय अर्जित कर रहे हैं।

17 दिसंबर की पुरोला की वह सर्द सुबह कितनी ठंडी थी इसका आभास कुमांऊ का चमकीला घाम (धूप) सेकने के बाद ही हुआ, लेकिन नदी के बहने की आवाज के साथ होटल से बाहर निकले तो पता चला पुरोला शहर कमल नदी के आरपार बसाया गया है। कमल नदी से शहर को ऐसे सटा दिया गया है कि कमल की धारा कहीं-कहीं मकानों की दीवारें छूती चली जा रही हैं। केदारनाथ की 2013 की आपदा के बाद आश्चर्य होता है कि लोगों को इन नदियों की संभावित विपुल जलसंपदा से भय क्यों नहीं लगता। इसका प्रत्युतर पुरोला के संपन्न काश्तकारों के पास है। कमल नदी पुरोला और उसके आसपास के गांवों की जीवन रेखा है। कमल ने उनको लहलहाते खेत, फसलें, बागवानी और फल-फूल दिये हैं। अभी भी उनके पास मवेशियों के लिए चारा प्रचुर मात्रा में है जबकि उत्तराखण्ड के बाकी हिस्सों में चारे और पानी के अभाव में कृषि एवं पशुपालन का परंपरागत कारोबार चौपट हो गया है। निर्बाध पलायन का एक बड़ा कारण यह भी है।

लेकिन लाखों लोगों को हंसती-खेलती समृद्धि देती कमल नदी खतरे में है और पुरोला को इसकी परवाह नहीं है। पुरोला के घरों से निकलने वाले मल-जल के सारे निकास कमल के प्रवाह में समा रहे हैं। टनों सर्फ और साबुन के साथ घरों की गंदगी, अपशिष्ट का बोझ कमल पर लाद दिया जा रहा है। अलसुबह एक महिला को एक टिन में भरा काला कचरा नदी में प्रवाहित करते

देखकर तो किसी की भी आखें विस्फारित हो सकती हैं। मायके में नदियों की यह गत वह भी देवभूमि में? इसके लिए एनजीटी शैली में सीधे स्थानीय जनों पर दोषारोपण या सजा तो क्रूरता होगी पर बीच का रास्ता ठीक होगा पर यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि कमल नदी की सेहत के लिए जल्दी से कुछ नहीं किया गया तो दिल्ली की यमुना या लंदन की टेम्स जैसे उपचार भी इसे गंदा नाला बनने से नही रोक पायेंगे। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को अपने अवदान को समझना होगा।

पुरोला की कमल नदी और नौगांव बड़कोट के पदार बिन्दुओं से बहती यमुना नदी की देह पर निकास पाते गंदे नालों और घरेलू कचड़े के ढेरों को देखकर कुछ सवाल पिछले तीन दशक से नदियों को साफ करने के एक्सन प्लान चला रहे तंत्र और पानी में आक्सीजन, कार्बन और टाक्सिक नाप रहे कंट्रोलरों से भी तो पूछे जाने चाहिए। मसलन 1985 से चल रहे गंगा एक्सन प्लान में तथाकथित तौर पर 20 हजार करोड़ खर्च कर दिये गये। क्या उनमें नदियों के मायके के लिए कुछ भी नही था? गंगा एक्सन प्लान का सबसे महत्वपूर्ण हैड पब्लिक एवयरनैस बनाया गया। बड़कोट, नौगांव, उत्तरकाशी या पुरोला के साथ-साथ कर्णप्रयाग, रूद्रप्रयाग या श्रीनगर जैसे उत्तराखण्ड के किसी संगम शहर में जनजागृति के लिए कुछ नही दिया गया? गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र की विशालता को देखते हुए और उत्तराखण्ड की रमणीक नदी घटियों को पर्यटन के लिऐ छोड़कर नदियों के भगीरथों की गंगा एंड इटस ट्रिब्यूट्रीज में सारी जलधाराओं को समेटने की साजिश को नजरअंदाज भी कर दिया जाय तो यह स्पष्ट है कि इन जलधाराओं को बचाने की दिशा में काम तो दूर अभी तक सोचा भी नही गया है। गंगा-यमुना चिंतितों के तीस साल के खोखले अभियानों में उत्तराखण्ड का पहाड़ कहीं नही है। उत्तरकाशी, देवप्रयाग, हरिद्वार और देहरादून में कुछ सीवेज और ड्रेनेज या ट्रीटमैंट के उपक्रम नांट कंप्लीट या आन गोइंग में लटका दिये गये हैं सवाल उठना लाजिमी है ऐसे में कमल नदी कैसे बचेगी? कमल को बचाने के लिए पुरोला में कचरा निस्तारण का पूरा प्रबंधन चाहिए, लोगों को नदी का उपकार बताने वाले लोग चाहिए, नदी के समांतर घरेलू मलजल निस्तारण के लिए नाला चाहिए और नदी के निरंतर प्रवाह के लिए एक संरक्षित पैसेज चाहिए। क्या ऐसा संभव है? पिछले एक साल से सुंदर, विमल और निरंतर जलधाराओं की पैरवी करने वाले लोगों की नजर नरेन्द्र मोदी सरकार की नमामी गंगे परियोजना पर टिकी है। अब देखना यह है कि उत्तराखण्ड सरकार भी मलजल व्ययन में ही रूचि दिखाती है या उसे अपनी लघु सरिताओं को बचाने की सुध भी रहती है। लेकिन यह तय है कि लघु सरिताओं को बचाये बिना बड़ी नदियां भी नही बचेंगी। ●

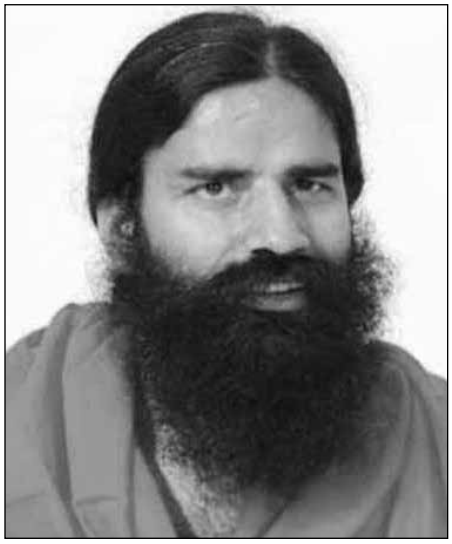

पतंजलि पर सरकार मेहरबान क्यों?

बाबा रामदेव और भाजपा की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं हैं, लेकिन जब इस संबंधों के कारण सत्तारूढ़ भाजपा, बाबा रामदेव के व्यक्तिगत हित के लिए काम करने लगे, तो सवाल उठना स्वाभाविक है।

ललित पांडे

बीते दिनों बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ और उत्तराखंड की भाजपा सरकार के बीच कई समझौते हुए। इसके तहत प्रदेश के विकास के लिए पतंजलि पांच क्षेत्रों में सरकार को सहयोग करेगा। पतंजलि उत्तराखंड को जैविक कृषि एवं जड़ी-बूटी राज्य बनाने,

राज्य के मोटे अनाज की व्यावसायिक खपत को बढ़ावा देने, राज्य में आयुष ग्रामों की स्थापना करने, एक गोधाम (गोशाला) स्थापित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। लेकिन पतंजलि और सरकार के बीच हुए इन फैसलों को लोग शंका की निगाहों से देख रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि सरकार की असल मंशा प्रदेश की बजाय बाबा रामदेव का विकास करने में दिख रही है।

असल में सबसे ज्यादा विरोध पतंजलि को प्रदेश में जड़ी-बूटियों का क्रय मूल्य तय करने की जिम्मेदारी देने के फैसले का हो रहा है। प्रदेश के जड़ी-बूटी कारोबारी सरकार के इस फैसले से स्तब्ध हैं और उन्हें अपने कारोबार पर बादल मंडराते दिख रहे हैं। जड़ी-बूटी कारोबारी बताते हैं कि वे किसी भी हालत में अपने उत्पाद रामदेव की कंपनी को नहीं बेचते हैं, क्योंकि पतंजलि उनके उत्पादों का जो दाम तय करती है, उससे खेती की मूल लागत तक नहीं निकाली जा सकती। अब अगर सरकार पतंजलि को ही उत्पादों के दाम तय करने का जिम्मा दे दे, तो भविष्य में क्या होगा, इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। सरकार के इस तरह के फैसले से पतंजलि को जड़ी-बूटी लूटने का खुला अधिकार मिल जाएगा।

हालांकि प्रदेश के वन मंत्री हरक सिंह रावत इस तथ्य को गलत बताते हैं। वे कहते हैं कि जूड़ी-बूटी उत्पादकों की चिंता बेमतलब की है और ऐसा कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया है, जिससे उन्हें नुकसान हो। पतंजलि के साथ हुए समझौते में सिर्फ यह तय हुआ है कि कंपनी सरकार को दाम बताएगी और सरकार को उनके दाम किसानों-व्यापारियों व प्रदेश के हित में लगेंगे, तभी उसे स्वीकार किया जाएगा। दरअसल, प्रदेश में जड़ी-बूटी बेहद कम मात्रा में उगाई जाती है, जबकि यह जंगलों में स्वतः ही उग जाती है, यानी इन्हें कोई पैसा खर्च करके नहीं उगाता, इसलिए अब तक सरकार इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं करती थी, तो अब क्या वजह आन पड़ी कि सरकार ने यह फैसला करने का निर्णय पतंजलि को दे दिया। इसके जवाब में हरक सिंह कहते हैं कि ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि अगर कभी किसानों को जड़ी-बूटियों के अच्छे दाम न मिलें और उनकी जड़ी-बूटियां न बिक पायें तो कम-से-कम एक तय दाम पर पतंजलि उन्हें खरीद ले।

वन मंत्री हरक सिंह रावत कहते हैं कि जूड़ी-बूटी उत्पादकों की चिंता बेमतलब की है और ऐसा कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया है, जिससे उन्हें नुकसान हो। पतंजलि के साथ हुए समझौते में सिर्फ यह तय हुआ है कि कंपनी सरकार को दाम बताएगी और सरकार को उनके दाम किसानों-व्यापारियों व प्रदेश के हित में लगेंगे, तभी उसे स्वीकार किया जाएगा।

हरक सिंह की बातों से यही लगता है कि दाल में कुछ भी काला नहीं है और जड़ी-बूटी व्यापारी बेवजह शंका कर रहे हैं, लेकिन इस मामले की जमीनी पड़ताल की गई, तो पता चला कि यहां तो पूरी दाल ही काली है। इस क्षेत्र के ज्यादातर जानकार सरकार के इस फैसले को एक सोची-समझी साजिश बता रहे हैं और उनका कहना है कि भाजपा से अपने संबंधों की आड़ में रामदेव प्रदेश की जड़ी-बूटी लूटने का कार्यक्रम बना रहे हैं। बताया गया कि जड़ी-बूटियों का दोहन सरकारी प्रक्रिया के तहत होता है। इसके तहत जिस इलाके में जड़ी-बूटियां पाई जाती हैं, उसके नजदीकी गांवों में प्रत्येक वर्ष एक बैठक होती है। ये बैठक अमूमन मई-जून के महीने में होती है, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, वन विभाग और भेषज विकास इकाई के अधिकारी शामिल होते हैं। इसी बैठक में जंगलों से जड़ी-बूटियां निकालने का ठेका कुछ ठेकेदारों को दिया जाता है, जो स्थानीय लोगों से काम करवाते हैं, फिर ये ठेकेदार वन विभाग और भेषज इकाइयों से जरूरी अनुमतियां लेकर इन जड़ी-बूटियों को मंडी तक पहुंचाते हैं। लेकिन, यहां दिलचस्प बात यह कि मई-जून में आयोजित होने वाली ये बैठक इस साल अब तक नहीं हुई है। यानी सरकार और रामदेव की असल मंशा क्या है, इसका पता इसी बात से चल जाता है।

दरअसल, प्रदेश में पैदा होने वाली कुल जड़ी-बूटियों का लगभग 95 प्रतिशत प्राकृतिक रूप से यहां के जंगलों में पैदा होता है और ऐसी जड़ी-बूटियों का मूल्य अब तक वन विभाग की नीलामी से ही तय होता था। दिलचस्प बात यह कि मौजूदा समय में जब उत्तराखंड की मंडियों में जड़ी-बूटियां बाजार भाव पर बिक रही हैं, तब रामदेव इन मंडियों से कोई जड़ी-बूटी नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन अगर रेट तय करने का जरा भी अधिकार उन्हें मिल गया, तो फिर सारी जड़ी-बूटियां कौड़ियों के भाव उन्हें मिलने लगेंगी। इस संबंध में जानकार कहते हैं कि जंगली जड़ी-बूटियों को अगर पूर्व निर्धारित दाम पर रामदेव को बेचा जाता है तो इससे पूरे प्रदेश की जड़ी-बूटियों पर उनका एकछत्र राज हो जाएगा।

पद्मश्री से सम्मानित गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और जड़ी-बूटियों के विशेषज्ञ वैज्ञानिक आदित्य नारायण पुरोहित कहते हैं कि जड़ी-बूटियों के दाम तय किये जाने में पतंजलि के किसी भी हस्तक्षेप को मैं बिलकुल गलत मानता हूं। एक व्यापारी को यह अधिकार कैसे दिया जा सकता है और अगर क्रय मूल्य तय करने में व्यापारियों को शामिल ही किया जाना है तो फिर सिर्फ बाबा रामदेव की पतंजलि को ही इसमें शामिल क्यों किया जाए। हिमालया या डाबर जैसी कंपनियों को क्यों नहीं? अगर पतंजलि को इस तरह के कोई भी अधिकार दिए जाते हैं तो साफ है कि सरकार उसके व्यक्तिगत हितों के लिए काम कर रही है। हालांकि, हिमालया ड्रग कंपनी के प्रेसिडेंट डॉ. एस फारुख ने कहा कि जिसके पास ठीक दाम मिलेंगे, उत्पादक उसी को अपनी जड़ी-बूटी बेचेंगे, इसलिए इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ●

राज्य की जीडीपी में आधा हुआ कृषि का योगदान

उत्तराखंड में खेती की हालत बेहद नाजुक हो चली है। 12 साल पहले राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि का योगदान 16.04 फीसद था, जो अब घटकर 8.94 फीसदी हो गया है। इतना ही नहीं, राज्य गठन से अब तक 72 हजार हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि बंजर हो गई है। हालांकि, गैर सरकारी आंकड़ों में यह संख्या एक लाख हेक्टेयर से ज्यादा है। सूबे के पहाड़ी क्षेत्र में खेती आज भी सिंचाई की राह ताक रही है। ऐसे तमाम मामलों के बीच खेती की दशा को सुधारना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो राज्य गठन के वक्त खेती की दशा सुधारने के दावे तो खूब हुए, लेकिन गुजरे 17 सालों में कभी भी खेती-किसानी को तवज्जो देने की जरूरत नहीं समझी गई। इसे यूं समझा जा सकता है कि 2000-01 में उपलब्ध 7.70 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि में से 72 हजार हेक्टेयर आज बंजर में तब्दील हो गई है। यही नहीं, विरासत में मिली तीन लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य बंजर भूमि का भी उपयोग अब तक नहीं ढूंढा जा सका।

असल में प्रदेश की कृषि व्यवस्था पर्वतीय, घाटी और मैदानी क्षेत्रों में सिमटी हुई है। इन क्षेत्रों की अपनी-अपनी दिक्कतें हैं, जिन्हें दूर कराने में सियासत ने शायद ही कभी दिलचस्पी ली हो। आलम ये है कि राज्य के 95 में से 71 विकास खंडों में खेती आज भी बारिश पर निर्भर है। सिंचाई सुविधा का आलम ये है कि पहाड़ में सिर्फ 85 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन वे भी न के बराबर। मौसम के अलावा पलायन, वन्यजीव, विपणन समेत अन्य कई कारण भी पहाड़ की खेती के सामने चुनौतियां बनकर खड़े हैं। वहीं, मैदानी क्षेत्रों में खेती पर शहरीकरण की मार पड़ी है।

ऐसी तमाम चुनौतियों के बीच केंद्र के फरमान के बाद राज्य सरकार ने अब प्रदेश के 9.12 लाख किसानों की आय दोगुनी करने के साथ ही खेती की दशा सुधारने की ठानी है, मगर यह राह इतनी आसान भी नजर नहीं आती। हालांकि, सरकार का कहना है कि वह ऐसे कदम उठाने जा रही है, जिससे 2022 तक खेती की दशा में सुधार नजर आएगा। देखने वाली बात होगी कि सरकार की कोशिशें क्या रंग लाती हैं।

कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक निश्चित रूप से विषम भूगोल वाले उत्तराखंड में खेती-किसानी के सामने चुनौतियों की भरमार है। लेकिन, मौजूदा सरकार इसे बेहद गंभीरता से ले रही है। केंद्र सरकार का फोकस भी कृषि की दशा सुधारने पर है। इस कड़ी में केंद्र की मदद भी मिल रही है। कई कदम उठाए गए हैं और कई उठाए जा रहे हैं। आने वाले दो साल के भीतर इसके नतीजे धरातल पर नजर आने लगेंगे।

उत्तराखंड को केंद्र से मिली सौगात

उत्तराखंड को केंद्र से एक बड़ी सौगात मिली है। विश्व बैंक पोषित प्रोजेक्ट को लेकर बीते दिनों दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में राज्य में बागवानी और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 1300 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी गई। वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों के संयुक्त सचिव समीर खरे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उत्तराखंड से उद्यान, कृषि व ग्रामीण उद्यम से जुड़े तीन प्रोजेक्ट रखे गए। बैठक में राज्य की ओर से प्रमुख सचिव एमएसएमई मनीषा पंवार, सचिव कृषि एवं उद्यान डी सेंथिल पांडियन, उद्यान निदेशक डॉ. बीएस नेगी, अपर निदेशक उद्योग एससी नौटियाल व संयुक्त निदेशक कृषि एससी सिंह ने शिरकत की। बताया गया कि बैठक में बागवानी से संबंधित 700 करोड़ और ग्रामीण उद्यमों से जुड़े 600 करोड़ के प्रोजेक्ट को कमेटी ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी। उद्यान निदेशक डॉ. बीएस नेगी के मुताबिक 700 करोड़ की मंजूरी मिलने से राज्य में एकीकृत बागवानी विकास परियोजना को गति मिलेगी। इसके तहत बागवानी को बढ़ावा देने के कई कदम उठाए जाएंगे, जो फलोत्पादकों की आय दोगुना करने में मदद करेगा। वहीं, अपर निदेशक उद्योग एससी नौटियाल ने बताया कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के माध्यम से अब पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों को और अधिक प्रोत्साहन मिल सकेगा। इससे वहां स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

किसान ने उगाया अमेरिकी योकॉन

तकनीक व संचार माध्यमों के बढ़ते प्रचार-प्रसार ने ग्रामीण काश्तकारों को भी कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया है। ऐसे में, काश्तकार केवल परंपरागत व नकदी फसलों के उत्पादन में ही प्रयोग नहीं कर रहे, बल्कि जलवायु के आधार पर देश-दुनिया में पाए जाने वाले ऐसे पौधे भी यहां उगा रहे हैं, जो आर्थिकी को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। ऐसा ही प्रयोग उत्तराखंड में मल्टीपल एक्शन ग्रुप फॉर इंटीग्रेटेड सोसाइटी से जुड़े जनजातीय क्षेत्र जौनसार-बावर (देहरादून) के बैराटखाई के किसान भाव सिंह ने किया है। इन्होंने दक्षिण अमेरिका में उगाए जोन वाले औषधीय पादप योकॉन का उत्पादन किया है। भाव सिंह ने प्रयोग के तौर पर बीते वर्ष डेढ़ बीघा जमीन पर योकॉन उगाया गया, जिसके अपेक्षित परिणाम मिले। अब वह इसे वृहद स्तर पर उगाने की तैयारी करने के साथ अन्य काश्तकारों को भी इस बारे में जानकारी मुहैया करा रहे हैं। आमतौर पर पेरू का भूरा सेब के नाम से विख्यात योकॉन

का पौधा औषधीय पादप है, जो ठंडे स्थानों पर उगाया जाता है। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि औषधीय पादप योकॉन उत्तराखंड के काश्तकारों के लिए नया पौधा है। उत्तरकाशी के मोरी ब्लाक व जौनसार-बावर के कुछ क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जा रहा है। योकॉन के एक पौधे से सात किलो तक स्वास्थ्यवर्धक कंद मिल जाता है, लिहाजा काश्तकारों को इसका आर्थिक लाभ देने के लिए बाजार विकसित किया जाना भी जरूरी है।

एक दशक में 19 प्रतिशत लोगों का पलायन

उत्तराखंड पलायन आयोग के उपाध्यक्ष एसएस नेगी ने कहा कि आयोग राज्य में जल्द ही पलायन की समस्या पर व्यापक सर्वे करा रहा है। उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में पर्वतीय जिलों से लगभग 19 प्रतिशत लोगों का पलायन हुआ है, जिसमें अन्य जिलों की अपेक्षा पौड़ी और अल्मोड़ा से सबसे अधिक पलायन हुआ है। प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं की कमी एवं आजीविका के सीमित संसाधन, आरामदायक जीवन जीने की लालसा ही पलायन का मुख्य कारण है। प्रदेश की भौगोलिक स्थितियों से वाकिफ जानकारों के मुताबिक, पलायन का एक कारण कृषि का लगातार महंगा और उत्पाद के उचित दाम न मिलना भी है। इनके अनुसार, प्रदेश के कई स्थानों में बहुतायत मात्रा में अनाज, फल, सब्जियां उगाई जाती हैं, लेकिन सड़क से लगे क्षेत्रों को छोड़कर दूरदराज के किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। साथ ही कृषि कार्य में जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाना भी उत्तराखंड के किसानों की एक प्रमुख समस्या है। अधिकारियों ने माना कि पहाड़ से पलायन रोकने के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ तैनात करना जरूरी है, साथ ही यहां पर्यटकों की आमद बढ़ाने के लिए पर्यटन स्थलों का विकास करना होगा।

अधिकारियों का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्र से पलायन का मुख्य कारण छोटी-छोटी जोतों के साथ खेतों के अलग-अलग होने से भी लोगों का खेती की ओर रुझान कम हो रहा है। उनका कहना था कि पहाड़ पर चकबंदी होने से कुछ हद तक पलायन पर रोक लगाई जा सकती है। अधिकारियों का कहना था कि पहाड़ की खेती 90 प्रतिशत महिलाओं पर निर्भर है और उन्हें खेती के उन्नत एवं वैज्ञानिक तरीके, उन्नत खाद-बीज आदि के बारे में मालूम नहीं होता है। ज्यादातर विशेषज्ञों का यही मानना है कि पहाड़ पर छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करके एवं रोजगार के साधन विकसित करके ही पलायन को रोका जा सकता है।

चट्टान पर उगाई फसल

जुनून उन्हें थकने नहीं देता और उनकी फौलादी धुन ऐसी कि इस धरती पुत्र ने जहां घन से चोट की, वहां विशालकाय चट्टान भी बिखरती चली गई। नतीजा, अपने बूते इस जीवट व्यक्ति ने बगैर थके चट्टाननुमा पहाड़ी को फावड़े, गेंठी व घन से पाटकर उर्वर खेत बना डाला। कभी बंजर पड़े इस भूखंड पर अब फसल लहलहाती है और पलायन से बेजार पहाड़ के बाशिंदों को खेती से जुड़ने की प्रेरणा दे रही है। यहां बात हो रही है अल्मोड़ा के हवालबाग ब्लॉक के स्याहीदेवी गांव के मोहन सिंह लटवाल की। पहाड़ सरीखी पर्वतीय खेती की कठिन चुनौती को खारिज करके इस बुजुर्ग ने जो किया, वह जंगली जानवरों के कहर, सिंचाई संसाधनों का अभाव व पलायन से बेजार बाशिंदों के लिए प्रेरणा बन गई। धरती को संवारने के शौकीन मोहन सिंह ने बुढ़ापे को मात देते हुए दो वर्ष पूर्व अपने घर के पास ही खालिस चट्टाननुमा पहाड़ी पर खुदाई शुरू की। दिन-रात गेंटी, फावड़े व घन चलाए। कुछ कर गुजरने का जज्बा ही कहेंगे कि उन्होंने बरसात से पहले बंजर पहाड़ी का सीना चीरकर 80 मीटर लंबा व 20 मीटर चौड़ा खेत तैयार कर डाला। चट्टान तोड़कर निकले करीब 1.60 टन पत्थरों को जोड़कर उन्होंने एक मीटर गहरी बुनियाद, दो मीटर चौड़ी व 80 मीटर लंबी सुरक्षा दीवार देकर अपनी मेहनत को अंतिम रूप दिया। इसी खेत पर अब वे तीन कुंतल आलू व करीब छह कुंतल मूली उगाकर खेती छोड़कर भाग रहे ग्रामीणों को आइना दिखा रहे हैं। वे गर्व के साथ कहते हैं कि मैंने मनरेगा से भी मदद नहीं ली और अपने बूते युवाओं को खेती के लिए उकसाने का प्रयास भर किया है, ताकि लोग खेती न छोड़ें। वे बताते हैं कि लंगूरों व सुअरों ने उनकी आलू की खेती चौपट कर डाली। 50 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बीज लगाया था। पहले सीजन में लगभग छह कुंतल मूली पैदा की। जानवर चट कर गए। फिर भी 60 किलो मिल ही गई। जानवरों का बहाना क्यों करना। मैं तो कहता हूं कि मेहनत करेंगे तो जानवरों के साथ हम भी खाएंगे।

गश खाती अतिथि गृह आवास योजना

पलायन का दंश झेल रहे प्रदेश के गांवों में पर्यटन के जरिए स्वरोजगार मुहैया कराने की सरकार की कोशिशों को पंख नहीं लग पा रहे हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की अतिथि गृह आवास योजना इसका उदाहरण है। पर्यटक स्थलों के नजदीकी गांवों में सैलानियों के रहने की व्यवस्था से जुड़ी इस योजना को लेकर ग्रामीणों की उत्सुकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 21 माह में पूरे प्रदेश से सिर्फ 273 लोगों ने आवेदन किए हैं। इसमें भी सात जिले ऐसे हैं, जिनमें आवेदकों की संख्या दहाई तक नहीं पहुंच सकी है। गौरतलब है कि राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण कई पर्यटक स्थल हैं, जहां सैलानियों के लिए ठहरने और भोजन की उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में, वहां सैलानियों की आमद नहीं हो पाती। यही नहीं, प्रमुख पर्यटक स्थलों में भी

सीजन के दरम्यान भीड़ बढ़ने से वहां पर्यटकों के रहने की दिक्कत खड़ी हो जाती है। इससे निबटने के लिए पर्यटन विकास परिषद ने अतिथि गृह आवास योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया। योजना के मुताबिक गांवों में दो से लेकर छह कमरों को आवास गृह के रूप में तब्दील करके वहां सैलानियों के लिए न सिर्फ ठहरने व भोजन की उचित व्यवस्था होगी, बल्कि वे यहां की सभ्यता, संस्कृति से भी रूबरू हो सकेंगे। 25 फरवरी 2016 को योजना का शासनादेश होने के बाद इसे लेकर जोर-शोर से प्रचार भी हुआ, लेकिन ग्रामीणों ने इसमें खास रुचि नहीं दिखाई। अब तक आए महज 273 आवेदन इसकी तस्दीक करते हैं। हालांकि, परिषद के अधिकारियों की मानें तो कम आवेदनों के पीछे जानकारी का अभाव हो सकता है और एक बार फिर से आवेदकों की संख्या बढ़ाने के मद्देनजर लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस कड़ी में पहले उन पर्यटक स्थलों के नजदीकी गांवों पर फोकस किया जा रहा है, जिनमें ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसी व्यवस्था भी की जा रही कि सैलानी उन गांवों तक पहुंचे, जहां होम स्टे के तहत व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

अब खेतों पर नहीं सड़ेंगे फल

उत्तराखंड के काश्तकारों की फल, सब्जी व मसाले की फसलें अब ग्राहक न मिलने के चलते खेतों पर ही नहीं सड़ेंगी। उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड जिन क्षेत्रों में इन फसलों की अधिक पैदावार होती है, उन ग्रामीण क्षेत्रों में समितियों के माध्यम से इन फसलों की प्रोसेसिंग व पैकेजिंग यूनिट लगाएगा। मडुआ और आडू की फसलों को न केवल संरक्षित किया जाएगा, बल्कि इनके लिए देश भर में बाजार उपलब्ध कराकर अधिकतम मूल्य भी दिलाने का प्रयास किया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में फल, सब्जी व मसालों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधा उपलब्ध न होने से इन फसलों को बाजार नसीब नहीं हो पाता। कई स्थानों पर हाल यह है कि फसलों का भरपूर उत्पादन होने के बाद भी काश्तकारों को फसल की लागत भी नसीब नहीं हो पाती। इन काश्तकारों की इस समस्या को दूर करने के लिए उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि जिन क्षेत्रों में इन फसलों का अधिक उत्पादन होता है, वहां बोर्ड काश्तकारों की समितियों का गठन कर इनके माध्यम से क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिटों की स्थापना करेगा। इसके लिए बजट सेस के माध्यम से मुहैया कराया जाएगा। यूनिटों को खासकर उन क्षेत्रों में लगाया जाएगा, जहां परिवहन की सुविधा आसान नहीं है। यूनिटों में फसलों के संशोधित होने के बाद उन्हें जहां दीर्घकाल के लिए भंडारित किया जा सकेगा, वहीं संशोधित होने के बाद इन फसलों का पहले से कहीं अधिक मूल्य भी मिल सकेगा। वर्तमान में इसके लिए कोटाबाग, गौलापार, रामगढ़, मुक्तेश्वर व हर्षिल में इनकी स्थापना का काम शुरू कर दिया है। जल्द ही राज्य के अन्य स्थानों को भी इस सूची में शामिल किया जाएगा। बोर्ड की योजना इस तरह की इकाइयां राज्य के प्रत्येक जनपद में खोलने की है। पर्वतीय खाद्यान्न फसलों मे मडुआ, झगोरा, कोटू, रामदाना, गेहत आज तक पर्वतीय क्षेत्र तक ही सीमित हैं, वहीं राज्य में बड़ी तादाद में उत्पादित होने वाले आडू, माल्टा, सेब व नाशपाती की बेहतर प्रोसेसिंग न हो पाने से इन्हें बड़ा बाजार नसीब नहीं हो पा रहा है। बोर्ड द्वारा लगाई जा रही इन यूनिटों से राज्य की इन फसलों को अब नई पहचान के साथ बड़ा बाजार भी नसीब हो सकेगा।

अब बीमार पशुओं को देखने घर आएंगे डॉक्टर

अगर सब कुछ ठीक रहा तो पशुपालकों को जल्द घर-घर पशुओं का इलाज मिल सकेगा। इस बावत प्रदेश के पशुपालन विभाग मोबाइल वेटनरी वैन की योजना बना रहा है। इसके लिए एक फोन नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर फोन करके पशुपालक वैन को अपने घर बुला सकता है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अक्सर यह देखने में आता है कि समय पर डॉक्टर उपलब्ध न होने या फिर टीका न लग पाने के कारण पशुओं की मृत्यु हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में तो यह दिक्कत आमतौर पर रहती है। एक गांव से दूसरे गांव में बीमार आदमी को ले जाने में हालत ढीली हो जाती है, तब बीमार पशुओं को ले जाना काफी दिक्कतों भरा है। पशु पालक भी समय से पशुओं का टीकाकरण नहीं करा पाते। प्रदेश की पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि वह जल्द ही प्रदेश में मोबाइल वेटनरी वैन योजना शुरू करने जा रही हैं, जिससे पशुपालकों को काफी लाभ होगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जनपद में यह वैन होगी, जो वर्तमान 108 एंबुलेंस योजना की तरह कार्य करेगी। इसमें डॉक्टर के साथ सभी दवाइयां, जरूरी उपकरण व टीकाकरण की पूरी सुविधा होगी। वैन का एक नंबर होगा जो स्थानीय पशुपालन विभाग से संबंद्ध होगा। जिस पर फोन करके पशुपालक अपने पशु की बीमारी के बारे में जानकारी दे और ले सकता है। वैन घर पर पहुंचेगी, जिससे पशुओं को तुरंत लाभ मिल सकेगा। पशुओं की बीमारी से मौत होने का प्रतिशत भी घटेगा और प्रदेश में पशुपालन में वृद्धि होगी।

प्रधानमंत्री से मिली फटकार तब जागा वन विभाग

प्रदेश के पर्यावरण प्रेमियों ने पहाड़ के कल्पवृक्ष बांज जैसे बहुपयोगी वृक्षों के कटान को रोकने में सरकारी तंत्र के सुस्त रवैये

की शिकायत जब प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से की, तब जाकर वन विभाग के अधिकारियों की नींद टूटी। पीएमओ ने अब प्रदेश के मुख्य वन संरक्षक को इस गंभीर मुद्दे पर त्वरित कदम उठाने के कड़े निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले डेढ़ दशक से जंगल व जल स्रोतों के संरक्षण में जुटे जागरूक युवाओं ने यह मुद्दा पिछले साल जीबी पंत हिमालय वन पर्यावरण एवं शोध संस्थान कोसी कटारमल आए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के समक्ष जोरशोर से उठाया था, लेकिन इसके बावजूद बहुपयोगी वृक्षों का कटान नहीं रुका, तो इन युवाओं ने इसकी शिकायत पीएमओ से कर दी। इस पर पीएमओ ने ई-मेल के जरिये पीसीएफ उत्तराखंड को जंगल बचाने के लिए त्वरित व ठोस कदम उठाए जाने के निर्देश देते हुए रिपोर्ट मांगी और साथ ही उचित कार्रवाई करने को भी कहा। यह भी साफ किया है कि बड़े अधिकारी अपने ही विभाग से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लें। पीएमओ तक शिकायत पहुंचने और उस पर अमल होने के बाद प्रदेश के पर्यावरण प्रेमियों में अब जंगल बचने की आस जग रही है। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि अल्मोड़ा जिले में स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पहाड़ में लकड़ी का ठोस विकल्प लौह हल के रूप में दिया है। उत्तराखंड के पांच जिलों में करीब 3500 किसान इसे अपना भी चुके हैं, इसलिए जंगलों के कटान पर पुरी तरह से रोक लगनी चाहिए।

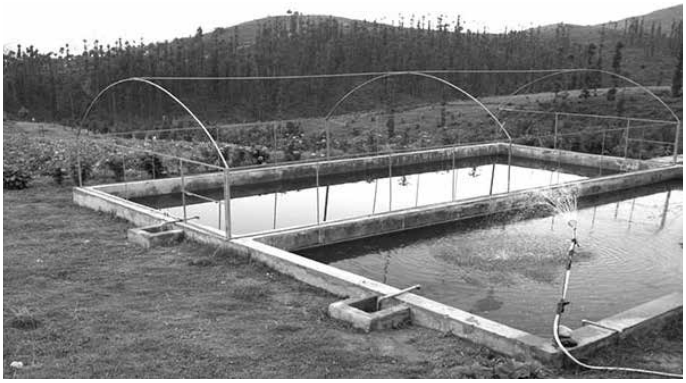

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मत्स्य पालन पर जोर

बीते दिनों विश्व मात्स्यिकी दिवस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्राउट फिश योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में मत्स्य पालन अहम भूमिका निभा सकता है। कार्यक्रम में मौजूद राज्यमंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड को एंगलिंग फिश स्टेट के रुप में विकसित करने की बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फिश मोबाइल आउटलेट योजना के तहत तील जिलों को इंसल्युटेड ट्रक, तीन छोटे वाहन व तीन बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिन जिलों को वाहन दिए गए, उनमें ऊधमसिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार शामिल हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि केंद्र सरकार ने 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में मत्स्य पालन से जुड़कर किसान अपनी आय बढ़ा सकता है। इस दौरान राज्यमंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मत्स्य विभाग पर्वतीय क्षेत्रों में एंगलिंग फिश कार्यक्रम चला रहा है। मत्स्य पालन विभाग को प्रदेश में कंजर्वेशन फारेस्ट के अलावा सभी नदी क्षेत्र में मछलियों के संरक्षण एवं संवर्धन का अधिकार प्राप्त हो गया है। अब विभाग पर्वतीय क्षेत्रों की नदियों में मछली संरक्षण एवं संवर्धन करके सैलानियों को यहां एंगलिंग फिश के लिए आकर्षित करेंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

किसानों को सस्ता कर्ज देने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड- त्रिवेंद्र सिंह

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि उत्तराखंड किसानों को सस्ता कर्ज देने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में किसानों को दो प्रतिशत ब्याज पर दो लाख रुपये तक का कर्ज दिया जा रहा है। बीते दिनों देहरादून में आयोजित एक किसान कर्ज मेले में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करनी है और उन्हें मजबूत बनाना है। किसानों के लिए यह अच्छी योजना हो सकती है। शिक्षित युवा भी खेती करें। उन्हें भी दो प्रतिशत ब्याज पर लोन दिया जाएगा। बैंक लोन का नौ प्रतिशत ब्याज राज्य सरकारी देगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने आठ महीने में विकास की दशा बदली है। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने के मद्देनजर यह महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है। इससे राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और इस योजना के जरिए किसानों की आर्थिकी संवरेगी।

बर्बाद हो रहे आलू को बचा लो

उत्तरकाशी जिले में आलू उगाने वाले किसानों पर इस बार दोहरी मार पड़ी है, कहीं आलू की फसल चौपट हो गई, तो कहीं काश्तकारों को आलू के वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं। मसलन, अपर यमुनोत्री घाटी में मौसम की मार से उत्पादन हानि और गंगोत्री घाटी में सही दाम न मिलने से इस वर्ष आलू ने काश्तकारों को खूब रुलाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आलू यहां के किसानों की मुख्य नकदी फसल है और जब उसके ही सही दाम उन्हें नहीं मिलेंगे, तो उनका आगे का जीवनचक्र पूरी तरह गड़बड़ा जाता है। लोगों की मांग है कि आलू यूं ही बर्बाद न हो, इसके लिए सरकार को यहां आर्गेनिक आलू का आटा तैयार करने की तकनीक पहुंचानी चाहिए। आलू को प्रसंस्करित करके आटा में तब्दील करके चिप्स, बड़ी, सब्जियों की करी एवं अन्य पौष्टिक फास्ट फूड में इस्तेमाल किया जा सकता है। लंबे समय से आलू पर शोध कर रहे डॉ. अरुण कुमार अग्रवाल कहते हैं कि पहाड़ी आलू में पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए यहां के एक क्विंटल आलू से 40 किलो आटा तैयार किया जा सकता है। यहां आर्गेनिक आलू उत्पादन की परंपरा है, इसलिए सिर्फ आर्गेनिक बोर्ड में प्रणाम-पत्र व विदेशों में निर्यात के लिए अन्य प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। इसके लिए सरकारी सहयोग जरूरी है। सामान्य आलू का आटा बाजार में 200 से 300

रुपये किलो में बिक जाता है, जबकि आर्गेनिक आलू का आटा 700 से 1000 रुपये किलो तक मिलता है। आलू को उबाल कर इन्हें सोलर ड्रायर से सुखाकर और घराट में पिसकर गांव में ही इसका आटा तैयार किया जा सकता है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि कुछ वर्ष पूर्व यहां के किसानों को आलू के आटे की महत्ता बताई गई थी, लेकिन वे इसके महत्व को समझ नहीं पाए। हालांकि, वर्तमान में बर्बाद हो रहे आलू को बचाने के लिए क्या योजना है, इस प्रश्न पर जिले स्तर के अधिकारी चुप्पी साध जाते हैं। उनकी यह चुप्पी आलू के साथ किसानों को भी बर्बाद कर देगी।

कुमाऊं की मिट्टी हुई कमजोर

कुमाऊं मंडल की कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर पड़ रही है। दो वर्षों में सभी जिलों से लिए गए मिट्टी के करीब 65 हजार नमूनों में से लगभग 32 हजार में पोषक तत्वों की संख्या न्यूनतम स्तर पर मिली है। कृषि विभाग जल्द ही भूमि परीक्षण मंडलीय प्रयोगशाला की यह रिपोर्ट कृषि निदेशालय व केंद्रीय मंत्रालय को भेजेगा। वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कृषि विभाग ने कुमाऊं मंडल के सभी छह जिलों की कृषि भूमि में मौजूद पोषक तत्वों की जांच के लिए भूमि परीक्षण मंडलीय प्रयोगशाला में मिट्टी के करीब 65 हजार नमूने जांच के लिए भरे थे। इस द्विवार्षिक रिपोर्ट में करीब 50 फीसदी नमूनों में पोषक तत्व बेहद कम मात्रा मिले हैं। इसमें ऊधमसिंह नगर जिले से सर्वाधिक 40 हजार नमूने लिए गए थे, जबकि अल्मोड़ा से आठ हजार, बागेश्वर से दो हजार, नैनीताल से आठ हजार, पिथौरागढ़ से तीन हजार और चंपावत से दो हजार मिट्टी के नमूने भरे गए। कुल नमूनों में से करीब 32 हजार में मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, पोटाश व फास्फोरस की उपलब्धता न्यूनतम मात्रा में मिली है, साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्वों मैगनीज, जिंक, आयरन, तांबा, सल्फर की मात्रा भी कम मिली है। इससे कृषि विभाग के माथे पर शिकन पड़ गई है। इस द्विवार्षिक रिपोर्ट को जल्द ही कृषि निदेशालय और केंद्रीय कृषि मंत्रालय को भेजा जाएगा।

अफीम की खेती पर अब ड्रोन से नजर

राज्य में कई जगहों में अवैध रूप से अफीम, डोडा, पोश्त व खसखस की खेती होती है। इसमें देहरादून के चकराता, उत्तरकाशी व टिहरी के क्षेत्र शामिल हैं। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इन जगहों में कई-कई एकड़ जमीन पर अफीम जैसे कई प्रतिबंधित चीजों की अवैध रूप से पैदावार की जाती है। लेकिन, सीमांत व दुरुह पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण पुलिस व नारकोटिक्स महकमा अब तक इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाने में असफल रहा है। कहा यह भी जाता है कि इस अवैध कारोबार में कई सफेदपोश लोगों के लिप्त होने के कारण भी इस पर लगाम नहीं लग पाती। यानी तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद अफीम की खेती बदस्तूर जारी है। पिछले साल अफीम व अन्य नशीली चीजों की खेती पर नियंत्रण करने के संबंध में सरकारी स्तर पर गहन चर्चा हुई थी। इस दौरान यह बात सामने आई कि नशीली वनस्पतियों की खेती ऐसे स्थानों में हो रही है, जहां कोई वाहन नहीं जा पाता। इसके अलावा, पुलिस व नॉरकोटिक्स विभाग को स्थानीय लोगों का कोई सहयोग नहीं मिलता, बल्कि उन्हें लोगों के कड़े प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर स्थानीय लोग इस प्रकार की खेती से जुड़े होते हैं। इसमें कफी मुनाफा भी होता है, इस कारण तमाम सख्ती के बावजूद इन नशीली वनस्पतियों की खेती बदस्तूर जारी है। इस पर रोक के लिए अभी तक सरकार की ओर से केवल जनजागरूकता अभियान पर ही भरोसा किया गया। लेकिन, खुफिया विभाग की मानें तो इन नशीली वस्तुओं को उगाने का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है और यदि इस पर समय रहते रोक न लगाई गई, तो यह समस्या विकराल रूप ले सकती है। इस चेतावनी के बाद अब पुलिस इस प्रकार की नशीली खेती पर ड्रोन से नजर रखने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि ऐसा करके कई ऐसे इलाकों पर भी नजर रखी जा सकेगी, जहां तक पुलिस व नारकोटिक्स टीम का जाना संभव नहीं हो पाता। इस योजना को अमल में लाने के लिए पुलिस विभाग ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है, साथ ही शुरू में दस ड्रोन खरीदने के लिए बजट की मांग की है।

क्यार्की गांव में विदेशी सुपर फूड चिया की खेती

उत्तराखंड के टिहरी के क्यार्की गांव में इटली के निवासी इलियास मार्टिन ने विदेशी किस्म के सुपर फूड चिया की खेती का स्फल परीक्षण किया है। दरअसल, इलियास मार्टिन जब ऋषिकेश घूमने आए थे, तो उन्हें यहां की जलवायु चिया की खेती के अनुकूल लगी, लिहाजा उन्होंने तीर्थनगरी के समीपवर्ती क्यार्की गांव को अपने प्रयोग के लिए चुना। गांव के लोगों की मदद से उन्होंने इसी साल फरवरी में करीब छह नाली भूमि में चिया की खेती का परीक्षण किया। नन्हा बीज जब पौधे में तब्दील हुआ, तो गांववाले फूले न समाए, जबकि इलियास मार्टिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्योंकि, विदेश में चिया के पौधे की लंबाई आमतौर पर तीन-चार फीट तक होती है, लेकिन क्यार्की गांव में उगाई गई फसल में पौधे की लंबाई लगभग छह फीट तक हो गई। मार्टिन ने बताया कि इटली में चिया की बुवाई जून में और नवंबर तक इसकी फसल तैयार हो जाती है, लेकिन भारत में इसके पौधे की बढ़ी लंबाई देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ।

चिया के बीज का इस्तेमाल कई तरह से खाने के रूप में किया

जा सकता है। जैसे इसे उबालकर सलाद के रूप में, दलिया की तरह पकाकर व इसका कच्चा बीज भी खाया जाता है। चिया में प्रचुर मात्रा में कई पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें ओमेगा-3, अमीनो एसिड, कैल्शियम व विटामिन-सी प्रचुर मात्रा में पायी जाती है। ओमेगा-3 शाकहारी लोगों के लिए विशेषकर लाभदायक है क्योंकि इसमें मांसहारी भोजन से तीन गुना अधिक प्रोटीन पाया जाता है। चिया के बीज में 100 ग्राम दूध की तुलना में दोगुना कैल्शियम पाया जाता है। चिया काफी महंगा भोजन है, इसकी एक किलोग्राम बीज की कीमत लगभग 1500 से 2000 रुपये है। लेकिन, अब यह अपने गुणों के कारण धीरे-धीरे लोगों के बीच अपनी पहचान बना रहा है।

खास बात यह है कि चिया की खेती भारत में कहीं भी नहीं की जाती है। ऐसे में, स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सरकार चिया की खेती को बढ़ावा दे तो इसका उत्पादन प्रचुर मात्रा में हो सकता है और यह भविष्य में उत्तराखंड के किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। हालांकि, सरकार की कुंभकरणी नींद का आलम यह है कि जिले के कृषि अधिकारियों को इस कारनामे की कोई खबर तक नहीं है। वे यही टका जवाब देते हैं कि हम इसकी विस्तृत जानकारी लेंगे।

जड़ी-बूटी से रुकेगा पलायन, सरकार और रामदेव को होगा मुनाफा

प्रदेश की सरकार और पतंजलि के कर्ताधर्ता बाबा रामदेव दोनों मुनाफा कमाने और पलायन को रोकने के लिए जड़ी-बूटी उगाने का प्लान बना चुके हैं। बीते दिनों उद्यान विभाग ने जड़ी-बूटी के उत्पादन बढ़ाने को लेकर दो दिन का सेमिनार देहरादून में आयोजित करवाया था, जिसमें यह तथ्य उभर कर सामने आया कि वर्तमान में उत्तराखंड में 29 हजार मीट्रिक टन जड़ी-बूटी की पैदावार हो रही है, इससे 31 करोड़ रुपये का मुनाफा होता है। लेकिन, अब इस उत्पादन को 2022 तक तीन गुना करने का लक्ष्य रखा है।

दूसरी ओर बाबा रामदेव ने पलायन रोकने के लिए बंजर भूमि पर नींबू, मिर्च और जड़ी बूटियां उगाने की योजना बनाई है। रामदेव और उनके साथी बालकृष्ण पलायन पर स्थायी रोक लगाने के लिए पहाड़ों के सभी जिलों में पहुंच रहे हैं। गांव-गांव की तकदीर बदलने के लिए यह जोड़ी स्फेद चंदन की खेती बड़े पैमाने पर शुरू कर रही है। आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि इसके लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गांव बड़ी पोखरी से शुरूआत की जा चुकी है। बड़े पैमाने पर पर्वतीय युवाओं को नींबू और हरी मिर्च की खेती के काम में लगाया गया है। इस कच्चे माल के लिए निर्माण इकाई भी वहीं तैयार की जा रही है। साथ ही कई पहाड़ी गांव में आड़ू, खुमानी, प्लंब और सफेद चंदन उगाने का काम युवाओं के माध्यम से शुरू कर दिया गया है। हजारों युवाओं को पतंजलि पहाड़ों में ही रोजगार देगी, ताकि वे पहाड़ छोड़कर मैदानों में न जाएं। खेती और जड़ी बूटी आधारित ऐसे उद्योग लगाने के काम दर्जनों स्थानों पर शुरू हो चुका है। गुजरात के अमूल उत्पादन को हरा चारा भी पतंजलि उपलब्ध करा रहा है। खेतों में बाजरा और मक्का की खेती कराई जा रही है। इसी प्रकार बायोखाद के क्षेत्र में भी पतंजलि प्रवेश कर चुकी है। फिलहाल इस वित्तीय वर्ष में तीस करोड़ की बायो खाद किसानों तक पहुंचाई जा चुकी है। आचार्य ने बताया कि देशी उद्योग ही नहीं जमीनी पदार्थ भी तैयार करना पतंजलि का मकसद है। वह दिन दूर नहीं जब स्वदेशी के माध्यम से देश की तकदीर बदल जाएगी।

दो बार टेंडर निकालने के बाद भी कोई कंपनी नहीं आई

अपनी किरकिरी अपने आप करना शायद इसी को कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मंजूर 900 करोड़ रुपये की हेल्थ डेवलपमेंट परियोजना का दो बार टेंडर निकलने के बावजूद कोई बड़ा ग्रुप राज्य के अस्पतालों को पीपीपी मोड पर चलाने को तैयार नहीं हुआ। इतना ही नहीं, अब तीसरी बार टेंडर निकालने की तैयारी की जा रही है। हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पिछले साल नवंबर में मंजूर हुआ था, जबकि नई सरकार के गठन के साथ ही यह शुरू भी हो गया। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही योजना के तहत मरीजों को जिलों में ही समस्त इलाज की सुविधा मिलनी थी। लेकिन, टेंडर की प्रक्रिया अटकने से योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

गौरतलब है कि हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में टिहरी जिला अस्पताल, बेलेश्वर और देवप्रयाग अस्पताल को पीपीपी मोड पर देकर आपस में जोड़ा जाना था, जबकि दूसरे चरण में ऊधमसिंह नगर और फिर अन्य जिलों में इस योजना का विस्तार किया जाना था। जिलों के अस्पताल किसी बड़े ग्रुप को देकर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होना था, लेकिन किसी कंपनी के सामने न आने से पूरी योजना अधर में लटक गई है। इसके बाद सरकार ने सेना से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को संचालित करने का अनुरोध किया, लेकिन वित्तीय कारणों से सेना ने इससे इंकार कर दिया। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। 27 सौ पदों की तुलना में महज 12 सौ डॉक्टर काम कर रहे हैं। 108 सेवा के हाल भी लगातार खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में इस परियोजना से सरकार को बड़ी उम्मीद थी। खुद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मान रहे हैं कि योजना का अभी तक शुरू न हो पाना विभाग के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि, तीसरी बार कोशिश करने के बाद ही कोई बड़ा ग्रुप सामने आएगा, इसकी संभावना कम ही है। ●

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलायी गयी योजनाएं

1. प्रधानमंत्री जन धन योजना
2. प्रधानमंत्री आवास योजना
3. प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना
4. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
5. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
6. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
7. अटल पेंशन योजना
8. सांसद आदर्श ग्राम योजना
9. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
10. प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना
11. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाये
12. प्रधानमंत्री जन औषधि योजना
13. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
14. मेक इन इंडिया
15. स्वच्छ भारत अभियान
16. किसान विकास पत्र
17. सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम
18. डिजिटल इंडिया
19. स्किल इंडिया
20. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना
21. मिशन इन्द्रधनुष
22. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
23. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना
24. पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना
25. अटल मिशन फॉर रेजुवेनशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत योजना)
26. स्वदेश दर्शन योजना
27. पिल्ग्रिमेज रेजुवेनशन एंड स्पिरिचुअल ऑग्मेंटशन ड्राइव (प्रसाद योजना)
28. नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्मेंटशन योजना (हृदय योजना)
29. उड़ान स्कीम
30. नेशनल बाल स्वछता मिशन
31. वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) स्कीम
32. स्मार्ट सिटी मिशन
33. गोल्ड मोनेटाईजेशन स्कीम
34. स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया
35. डिजी लॉकर
36. इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम
37. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन
38. सागरमाला प्रोजेक्ट
39. प्रकाश पथ - वे टू लाइट
40. उज्ज्वल डिस्कॉम असुरन्स योजना
41. विकल्प स्कीम
42. नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम
43. राष्ट्रीय गोकुल मिशन
44. पहल - डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर फॉर एलपीजी (डीबीटीएल) कंस्यूमर्स स्कीम
45. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग)
46. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना
47. नमामि गंगे प्रोजेक्ट
48. सेतु भारतं प्रोजेक्ट
49. रियल एस्टेट बिल
50. आधार बिल
51. क्लीन माय कोच
52. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान - प्रस्तावित
53. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
54. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (इंदिरा आवास योजना का बदला हुआ नाम)
55. उन्नत भारत अभियान
56. टीबी मिशन 2020
57. धनलक्ष्मी योजना
58. नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम
59. गंगाजल डिलीवरी स्कीम
60. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान
61. विद्यांजलि योजना
62. स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम
63. ग्राम उदय से भारत उदय अभियान
64. सामाजिक अधिकारिता शिविर
65. रेलवे यात्री बीमा योजना
66. स्मार्ट गंगा सिटी
67. मिशन भागीरथ (तेलंगाना में)
68. विद्यालक्ष्मी लोन स्कीम
69. स्वयं प्रभा
70. प्रधानमंत्री सुरक्षित सड़क योजना (आने वाली योजना)
71. शाला अश्मिता योजना (आने वाली योजना)
72. प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना (आने वाली योजना)
73. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान - एनएचपीएम (आने वाली योजना)
74. राइट टू लाइट स्कीम (आने वाली योजना)
75. राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव
76. उड़ान - उड़े देश का आम नागरिक
77. डिजिटल ग्राम (आने वाली योजना)
78. ऊर्जा गंगा
79. सौर सुजाला योजना
80. एक भारत श्रेष्ठ भारत
81. शहरी हरित परिवहन योजना (जीयूटीएस)
82. नोटबंदी (500 और 1000 के नोट बंद)
83. प्रधानमंत्री युवा योजना
84. भारत नेशनल कार असेसमेंट प्रोग्राम (एनसीएपी)
85. अमृत (अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलाएबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट)
86. राष्ट्रीय आदिवासी उत्सव
87. प्रवासी कौशल विकास योजना
88. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना
89. गर्भवती महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना
90. वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम - वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017
91. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान
92. यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम - विचाराधीन
93. जनधन खाता धारकों के लिए बीमा योजना
94. महिला उद्यमियों के लिए स्टार्ट-अप इंडिया योजना
95. मछुआरों के लिए मुद्रा लोन योजना
96. ग्रीन अर्बन मोबिलिटी स्कीम
97. राष्ट्रीय वयोश्री योजना
98. एमआईजी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लोन स्कीम
99. पॉवेरटेक्स इंडिया स्कीम
100. भारत के वीर पोर्टल
101. व्यापारियों के लिए भीम आधार एप
102. भीम रेफरल बोनस स्कीम और कैशबैक स्कीम
103. शत्रु संपत्ति कानून
104. डिजिधन मेला
105. राष्ट्रीय जनजातीय कार्निवल
106. यूनिवर्सल बेसिक आय योजना
107. खाद्य संसाधन उद्योग के लिए सम्पदा योजना
108. विदेश में काम करने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिकों के लिए वज्रा योजना
109. प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना
110. प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना
111. मुस्लिम लड़कियों के लिए शादी शगुन योजना
112. संकल्प से सिद्धि
113. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना
114. पॉवरलूम (विद्युत से चलने वाला करघा) उद्योग के लिए सौर ऊर्जा योजना

(यश आई सपोर्ट नरेन्द्र मोदी की फेसबुक पोस्ट)

जल ही जीवन है
जल है तो कल है

पानी की एक-एक बूंद बचाइए!

सौ वर्षीय प्लान!

एलआईसी का

जीवन उमंग

UIN: 512N312V01 PLAN NO: 845

एक नॉन–लिंक्ड, लाभ–सहित, आजीवन बीमा योजना

अंतिम प्रीमियम के बाद से लेकर 99 वर्ष की आयु तक हर वर्ष पाइए
मूल बीमाधन राशि का 8% के बराबर गारंटीड उत्तरजीविता लाभ और
100 वर्ष की आयु तक जीवित रहने पर
एकमुश्त परिपक्वता लाभ.

विशेषताएँ :

- आयु योग्यता : 90 दिन के बच्चे से लेकर 55 वर्ष के व्यक्ति तक
- न्यूनतम मूल बीमाकृत राशि : ₹ 2,00,000/–
- अधिकतम मूल बीमाकृत राशि : कोई सीमा नहीं
- प्रीमियम भुगतान अवधि : 15, 20, 25 एवं 30 वर्ष
- पॉलिसी अवधि : (100 में से प्रवेश पर आयु घटाकर) वर्ष

वैकल्पिक राइडर :

- एलआईसी का दुर्घटना संबंधी मृत्यु और अपंगता हितलाभ राइडर
- एलआईसी का दुर्घटना हितलाभ राइडर
- एलआईसी का नया सावधि बीमा राइडर
- एलआईसी का नया गंभीर बीमारी हितलाभ राइडर

प्रमुख विशेषताएँ :

- 100 वर्ष की आयु तक आजीवन जोखिम बीमा–सुरक्षा
- पूरी अवधि में बोनस
- अंतिम अतिरिक्त बोनस (यदि कोई हो)
- ऋण सुविधा

अपने अभिकर्ता/शाखा से संपर्क करें या हमारी वेबसाइट **www.licindia.in** पर विजिट करें या **'YOUR CITY NAME'** को 56767474 पर एसएमएस करें (जैसे 'मुंबई')

Follow us : YouTube LIC India Forever

भ्रामक फोन कॉल्स तथा फर्जी/धोखाधड़ी वाले ऑफर्स से सावधान आईआरडीएआई सर्वसाधारण को सूचित करता है : • **आईआरडीएआई या इसके अधिकारी, बीमा विक्रय या वित्तीय उत्पाद अथवा प्रीमियम निवेश संबंधी गतिविधियों से संबंध नहीं रखते.**
• **आईआरडीएआई किसी प्रकार के बोनस की घोषणा नहीं करता.** ऐसे फोन आने पर कॉल विवरण तथा फोन नंबर की रिपोर्ट तुरंत पुलिस में दर्ज करवायें.

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

LIC/AR/17-18/04/HIN

बिक्री समापन से पूर्व अधिक जानकारी या जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए प्लान की बिक्री पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़े.

IRDAI Regn No.: 512

ज़िन्दगी के साथ भी, ज़िन्दगी के बाद भी.

RNI Regd. No. DELHIN/2007/20953

Postal Regd. No. DL(E)-20/5505/2016-18
27th & 28th of month

MADE EASY

India's Best Institute for IES, GATE & PSUs

Crack in 1st Attempt

ESE, GATE & PSUs

• Best Faculty • Best Study Material • Best Results

Why most of the students prefer MADE EASY !

Comprehensive Coverage
- More than 1000 teaching hours
- Freshers can easily understand
- Emphasis on fundamental concepts
- Basic level to advance level
- Coverage of whole syllabus (Technical and Non technical)

Focused and Comprehensive Study Books
- Thoroughly revised and updated
- Focused and relevant to exam
- Comprehensive so that, there is no need of any other text book
- Designed by experienced & qualified R&D team of MADE EASY

Dedication and Commitment
- Professionally managed
- No cancellation of classes
- Pre-planned class schedule
- Starting and completion of classes on time
- Subjects completion in continuity
- Co-operation and discipline

Complete guidance for written and personality test
MADE EASY has a dedicated team which provides round the year support for
- Interpersonal Skills
- GD and Psychometric Skills
- Communication Skills
- Mock Interviews

Motivation & Inspiration
- Motivational Sessions by experts
- Expert Guidance support
- Interaction with ESE & GATE toppers

Regular updation on Vacancies/Notifications
- Display on notice board and announcement in classroom for vacancies notified by government departments
- Notification of ESE, GATE, PSUs and state services exams

Professionally Managed & Structured Organization
- MADE EASY has pool of well qualified, experienced and trained management staff

Best Pool of Faculty
- India's best brain pool
- Full time and permanent
- Regular brain storming sessions and training
- Combination of senior professors and young energetic top rankers of ESE & GATE

Consistent, Focused and Well planned course curriculum
- Course planning and design directly under our CMD
- GATE & ESE both syllabus thoroughly covered
- Course coordination and execution directly monitored by our CMD

Best Infrastructure & Support
- Well equipped audio-visual classrooms
- Clean and inspiring environment
- In campus facility of photocopy, bookshop and canteen
- Best quality teaching tools

Regular Assessment of Performance
- Self assessment tests (SAT)
- ESE all India Classroom Test Series
- GATE Online Test Series
- Subject-wise classroom tests with discussion
- Examination environment exactly similar to GATE & UPSC exams

Counseling Seminars and Guidance
- Career counseling
- Post GATE counseling for M.Tech admissions
- Techniques for efficient learning
- Full Time Interview support for IES & PSUs

Timely completion of syllabus
- 4-6 hrs classes per day
- Well designed course curriculum
- Syllabus completion much before the examination date

Maximum Selections with Top Rankers
- MADE EASY is the only institute which has consistently produced Toppers in IES, GATE & PSUs
- Largest Selections in GATE
- Largest Selections in IES

Audio Visual Teaching | Hostel Support | Safe, Secured and Hygienic Campus Environment

Courses offered at MADE EASY

- Regular/Weekend/Super Talent Batches
- Rank Improvement Batches
- Online Test Series
- Postal Study Course
- MADE EASY Books
- Interview Guidance Program

Selections from MADE EASY in GATE 2016 & ESE 2015

MADE EASY Students Top in ESE-2015 — 38 Selections in Top 10 | 351 Selections out of total 434 | MADE EASY selections in ESE-2015: 82% of Total Vacancies

MADE EASY Students Top in GATE-2016 — 53 Selections in Top 10 | 368 Selections in Top 100 | 1st Rankers in 6 Streams: ME • EE • EC • IN • CS • PI

Streams: CE ME EE EC CS IN PI

For more details, visit :
www.madeeasy.in

Delhi	Noida	Lucknow	Jaipur	Bhopal	Indore	Pune	Hyderabad	Bhubaneswar	Kolkata	Patna
011-45124612	0120-6524612	09919111168	0141-4024612	0755-4004612	0731-4029612	020-26058612	040-66774612	0674-6999888	033-68888880	0612-2356615
09958995830	08860378009	08400029422	09166811228	08120035652	07566669612	09168884343	040-24652324	09040999888	08282888880	09955991166

Corporate Office: 44-A/1, Kalu Sarai (Near Hauz Khas Metro Station) New Delhi-110016; Ph: 011-45124612